



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज खान

कार्यकारी कुलसचिव

KADAR NAWAZ KHAN

ACTING REGISTRAR

दूरभाष : Phone : + 91-7152-230902

फैक्स : Fax : + 91-7152-230903

पत्रांक : 006/Est./2010/4-2/Voll. II/83

दिनांक : 06.02.2018

अधिसूचना

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत पूर्व में जारी अधिसूचना पत्रांक: 006/Est./2010/4-2/Voll. II/7743, दिनांक 18.12.2017 को अधिक्रमित करते हुए प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय नियुक्त किया जाता है।

कादर नवाज
(कादर नवाज खान)
05/02/18

प्रति,

1. प्रो. आनंद वर्धन शर्मा
प्रतिकुलपति
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा- 442001 (महाराष्ट्र)
2. प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा- 442001 (महाराष्ट्र)

प्रतिलिपि-

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. वित्ताधिकारी कार्यालय
5. दूर शिक्षा निदेशालय
6. अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ
7. प्रभारी, (लीला वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
8. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा 442001 (महाराष्ट्र) भारत

Post-Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha-442001 (Maharashtra) India

ई-मेल / E-mail: registrar.mgahv@gmail.com, वेबसाइट / Website: www.hindivishwa.org



293

Speed Post

F.No.: 107-1/2017 (DEB-IV)

31/10
Date: October, 2018
18 OCT 2018
AR (P.E.)
5/11/18

The Registrar,
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
Post-Hindi Vishwavidyalaya,
Gandhi Hills, Wardha- 442001,
Maharashtra

Sub: Commission decision on the HEI's representation submitted for review of programmes found deficient, for recognition for 2018-19 onwards to be offered in Open and Distance Learning (ODL) mode - regarding.

Sir/Madam,

This is in continuation to the UGC letter No. F.No. 107-1/2017 (DEB-IV) dated 14.08.2018, wherein the details of programmes recognised for 2018-19 onwards and programmes found deficient along with deficiencies and other relevant information/conditions were communicated to Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya.

2. As per the provision at clause 4 (i) of sub-regulation (3) of Part- II of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and the decision of the Commission in its 534th meeting held on 2nd August, 2018, for the programmes found deficient as per the UGC letter cited in above para, the Higher Educational Institution had been provided an opportunity to submit representation along with documentary evidence, if any, within 30 days from the date of the said UGC letter.

3. The representation along with documentary evidence submitted by the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya on 27th August, 2018 for review and the justifications given by the HEI representatives during the hearing, were considered by the duly constituted Expert Review Committee in the meeting held on 07th September, 2018 at UGC, 35 Feroze Shah Road, New Delhi. The Expert Review Committee based on the provisions of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and its amendments; made recommendations for consideration of the Commission.

4. Based on the decision of the Commission in its 535th Meeting dated 27th September, 2018, I am directed to issue this Order, thereby communicating the Commission decision, on the representation received, for programme wise recognition status of the programmes to be offered in Open and Distance Learning mode from academic year 2018-19 onwards by the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, in addition to programmes already recognized vide letter mentioned in Para 1 above, as detailed in point no. 5 below.

5. Programme wise recognition status based on representation:

5(A) Programmes Recognised

S. No.	Name of the Programme	Period of Recognition
1	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	2018-19 to 2019-20
2	BACHELOR OF JOURNALISM	
3	BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION	

1332
5/11/18

सुश्री...

Please put up for information and also include in BOS Agenda.
Waidys 08/11/18

	SCIENCE	2018-19 to 2019-20
4	MASTER OF ARTS (AHOLM)	
5	MASTER OF ARTS (HINDI)	
6	MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)	
7	MASTER OF ARTS (HISTORY)	
8	MASTER OF ARTS (SCOCIOLOGY)	
9	MASTER OF JOURNALISM	
10	MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE	
11	MASTER OF SOCIAL WORK	

*As HEI NAAC score below 3.26, the recognition given is only up to the academic year 2018-19 to 2019-20, based on the UGC (ODL) Second Amendment Regulations, 2018. The list of recognised Learner Support Centres/Study Centres will be available shortly at UGC website.

5(B) Programmes Not Recognised: Nil

6. For the programmes recognised in 5(A) above, the Higher Educational Institution shall scrupulously abide in letter and spirit by all the terms and conditions, while offering the programmes in Open and Distance Learning mode, as per the provisions detailed in Part-III, Part-IV, Part-V, Part-VI and Annexure-I to Annexure-XI of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and its amendments. Some specific conditions as per UGC (ODL) Regulations, 2017 & its amendments are given in **Annexure-1**.

7. If the HEI fails to comply with the conditions of recognition or if it is found conducting affairs in a manner that leads to deterioration of academic standards, or if any information, documentary evidence submitted/produced by the HEI is found to be false or fake at a later date, UGC shall take action as per Regulation (4) Part -II of UGC (ODL) Regulations, 2017.

Yours faithfully,

(Jitendra)
Education Officer

Copy to:

1. The Joint Secretary (Distance Learning), MHRD, Govt of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001.
2. The Member Secretary, AICTE, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070 **with a copy of the affidavit submitted by the HEI as per AICTE Letter No. AICTE/P&AP/ODL/2108 dated 28/08/2018.**
3. The Vice-Chancellor, **Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Post-Hindi Vishwavidyalaya, Gandhi Hills, Wardha- 442001, Maharashtra**
4. The Joint Secretary, State University Bureau, UGC.
5. Guard file.

(Jitendra)
Education Officer



AR (D.E.)

30/08/18

30/08/18

Speed Post

F.No.: 107-1/2017(DEB-IV)

Date: August, 2018

010Z 90V 4 87

The Registrar,
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
Post-Hindi Vishwavidyalaya,
Gandhi Hills,
Wardha- 442001,
Maharashtra

Subject: Commission Order on the application, submitted Online by the Higher Educational Institution, for recognition of the programmes to be offered in Open and Distance Learning (ODL) mode from academic year 2018-19 onwards - regarding.

Sir/Madam,

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 26 read with clause (j) of Section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017, had been notified in the Gazette of India on 23.06.2017. The first and the second amendment in the principal regulations were notified in the Gazette of India on 11.10.2017 and 06.02.2018 respectively.

2. Part-II; sub-regulations (3) to (5); of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 describes the Recognition process of Higher Educational Institutions for offering Open and Distance Learning programmes. The sub-regulations (3) describes the process of recognition of Higher Educational Institutions offering programmes in Open and Distance Learning Mode, whereas sub-regulations (4) describes the process for withdrawal of recognition and sub-regulations (5) provides right to appeal to Higher Educational Institutions aggrieved with the decision of the Commission.

3. The Commission had invited online applications from the eligible Higher Educational Institutions for offering Open and Distance Learning programmes from the academic session 2018-19 vide public notice F.No. 74-1/2018 (DEB-IV) dated 28.03.2018, mentioning therein that the online portal for submitting applications shall be open from 2nd April, 2018 to 1st May, 2018. It was also mentioned that the duly certified hard copies of the application submitted online mode along with annexures shall reach UGC (DEB) office at 35 Feroze Shah Road, New Delhi-110001 within 10 working days of submission of online application. In response to the

1105
30 8 / 18

public notice dated 28.03.2018, **Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya** had submitted application online for programme wise recognition by the Commission.

4. Application received from **Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya** had been scrutinized by the Expert Committee and deficiency(s) or defect(s) in application were communicated and time period as prescribed in University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 was given to remove or rectify such deficiency(s) or defect(s) with relevant documentary evidence.

5. The **Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya** was invited for an Interface Meeting with the Expert Committee; constituted by the Chairman of the Commission; on 06th, July, 2018 in the Commission head office, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi. The Expert Committee based on the application submitted, clarification given for deficiency(s) or defect(s) communicated earlier, the presentation made by the Higher Educational Institution in the Interface Meeting and in terms of provisions of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and its amendments; made recommendations for consideration of the Commission.

6. The Commission in its 534th meeting held on 2nd August, 2018 considered the recommendations of the Interface Expert Committee. Based on the decision of the Commission, I am directed to issue this Order, thereby communicating the programme wise recognition status of the programmes to be offered in Open and Distance Learning mode from academic year 2018-19 onwards by the **Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya** ; as detailed in point no. 7 below.

7. Programme wise recognition status

7(A) Programmes Recognized

Sr. No.	Name of the Programme	Period of Recognition *
1.	BACHELOR OF EDUCATION	2018-19 to 2019-20

*As HEI NAAC score is below 3.26, the recognition given is only upto the academic year 2019-20, as per UGC (Open and Distance Learning) Second Amendment Regulations, 2018.

The list of recognized Learner Support Centres/Study Centres is available at UGC website i.e www.ugc.ac.in at the link <https://www.ugc.ac.in/pdfnews/9969719-UGC-RECOGNITION-FOR-ODL-PROGRAMMES-2018-19-ONWARDS.pdf>



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

*The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
Gandhi Hills, Wardha, Maharashtra as
Accredited
with CGPA of 3.06 on four point scale
at A grade
valid up to March 02, 2020*

Date : March 03, 2015



Anwaruddin
Director



राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Quality Profile

Name of the Institution : Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
Place : Gandhi Hills, Wardha, Maharashtra

Criteria	Weightage (W_i)	Criterion-wise Weighted Grade Point (CrWGP _i)	Criterion-wise Grade Point Averages (CrWGP _i / W_i)
I. Curricular Aspects	150	460	3.07
II. Teaching-Learning and Evaluation	200	570	2.85
III. Research, Consultancy and Extension	250	860	3.44
IV. Infrastructure and Learning Resources	100	330	3.30
V. Student Support and Progression	100	300	3.00
VI. Governance, Leadership & Management	100	240	2.40
VII. Innovations and Best Practices	100	300	3.00
Total	$\sum_{i=1}^7 W_i = 1000$	$\sum_{i=1}^7 (CrWGP_i) = 3060$	

$$\text{Institutional CGPA} = \frac{\sum_{i=1}^7 (CrWGP_i)}{\sum_{i=1}^7 W_i} = \frac{3060}{1000} = \boxed{3.06}$$

Grade = **A**

Descriptor = **VERY GOOD**

Date : March 03, 2015



Anand Mishra
Director

- This certification is valid for a period of Five years with effect from March 03, 2015
- An institutional CGPA on four point scale in the range of 3.01 - 4.00 denotes A grade (Very Good), 2.01 - 3.00 denotes B grade (Good), 1.51 - 2.00 denotes C grade (Satisfactory)
- Scores rounded off to the nearest integer

**THE MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI
VISHWAVIDYALAYA ACT, 1996**

No. 3 OF 1997

[8th January, 1997.]

An Act to establish and incorporate a teaching University for the promotion and development of Hindi language and literature, through teaching and research, with a view to enabling Hindi to achieve greater functional efficiency and recognition as a major international language and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Act, 1996.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, and the Statutes made hereunder, unless the context otherwise requires,-

Definitions.

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "academic staff" means such categories of staff as are designated as academic staff by the Ordinances;
- (c) "Board of Studies" means the Board of Studies of the University;
- (d) "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" mean, respectively, the Chancellor, Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor of the University;
- (e) "Court" means the Court of the University;
- (f) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies;
- (g) "distance education system" means the system of imparting education through any means of communication, such as broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes or the combination of any two or more such means;
- (h) "employee" means any person appointed by the University, and includes teachers and other staff of the University;
- (i) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
- (j) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (k) "Hall" means a unit of residence or of corporate life for the students of the University, or of an Institution maintained by the University;
- (l) "Institution" means an academic institution, not being a College, maintained by the University;

- (m) "recognised Institution" means an institution of higher learning recognised by the University;
- (n) "Regulations" means the Regulations made by any authority of the University under this Act for the time being in force;
- (o) "School" means a School of Studies of the University;
- (p) "Statutes" and "Ordinances" mean, respectively, the Statutes and Ordinances of the University for the time being in force;
- (q) "teachers of the University" means Professors, Readers, Lecturers and such other persons as may be appointed for imparting instruction or conducting research in the University or in any Institution maintained by the University and are designated as teachers by the Ordinances;
- (r) "University" means the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya established and incorporated as a University under this Act.

Establishment of the University.

3. (1) There shall be established a University by the name of "Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya".

(2) The headquarters of the University shall be at Wardha.

(3) The first Chancellor and the first Vice-Chancellor and the first members of the Court, the Executive Council and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of "Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya".

(4) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

Objects of the University.

4. The objects of the University shall be to promote and develop Hindi language and literature in general and, for that purpose, to provide for instructional and research facilities in the relevant branches of learning; to provide for active pursuit of comparative studies and research in Hindi and other Indian languages; to create facilities for development and dissemination of relevant information in the country and abroad; to offer programmes of Research, Education and Training in areas like translation, interpretation and linguistics for improving the functional effectiveness of Hindi; to reach out to Hindi scholars and groups interested in Hindi abroad and to associate them in teaching and research and to popularize Hindi through distance education system.

Powers of the University.

5. The University shall have the following powers, namely:-

- (i) to provide for instructions in the relevant branches of learning and to make provision for the advancement and dissemination of knowledge for furtherance of its objects;
- (ii) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on, persons, and to withdraw and such diplomas,

- certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (iii) to organise and to undertake extra-mural studies, training and extension services;
 - (iv) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;
 - (v) to provide for facilities through distance education system to such persons as it may determine;
 - (vi) to institute Professorships, Readerships, Lecturerships and other teaching or academic positions, required by the University and to appoint persons to such Professorships, Readerships, Lecturerships or other teaching or academic positions;
 - (vii) to recognise, with the prior approval of the Visitor, an institution of higher learning, within or outside India for such purposes as the University may determine and to withdraw such recognition;
 - (viii) to appoint persons working in any other University or organisation as teacher of the University for a specified period;
 - (ix) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;
 - (x) to co-operate or collaborate or associate with any other University or authority or institution of higher learning in such manner and for such purposes as the University may determine;
 - (xi) to establish, with the prior approval of the Visitor, such campuses, special centres and specialised laboratories, within or outside India, as are, in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;
 - (xii) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
 - (xiii) to establish and maintain Institutions and Halls;
 - (xiv) to make provision for research and advisory services and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions, industrial or other organisations, as the University may deem necessary;
 - (xv) to organise and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, evaluators and other academic staff;
 - (xvi) to make special arrangements in respect of the residence, discipline and teaching of women students as the University may consider desirable;
 - (xvii) to appoint on contract or otherwise visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants, Scholars and such other persons who may

contribute to the advancement of the objects of the University;

- (xviii) to confer autonomous status on a Department, in accordance with the Statutes;
- (xix) to determine standards of admission to the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing;
- (xx) to demand and receive payment of fees and other charges;
- (xxi) to supervise the residences of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (xxii) to lay down conditions of service of all categories of employees, including their code of conduct;
- (xxiii) to regulate and enforce discipline among the students and the employees, and to take such disciplinary measures in this regard as may be deemed by the University to be necessary;
- (xxiv) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees;
- (xxv) to receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust and endowment properties for the purposes of the University;
- (xxvi) to borrow, with the approval of the Central Government, on the security of the property of the University, money for the purposes of the University;
- (xxvii) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of its objects.

Jurisdiction.

6. The jurisdiction of the University shall extend to the whole of India.

University open to all classes, castes and creeds

7. The University shall be open to persons of either sex and of whatever caste, creed, race or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the University or to hold any other office therein or to be admitted as a student in the University or to graduate thereat or to enjoy or exercise any privilege thereof.

Provided that nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the employment or admission of women, physically handicapped or of persons belonging to the weaker sections of the society and, in particular, or the Scheduled castes and the Scheduled Tribes.

Residence of students.

8. The University shall, primarily, be a residential University:
Provided that the requirements of residence shall be regulated in such manner as may be prescribed by the Ordinances.

The Visitor.

9. (1) The President of India shall be the Visitor of the University.

(2) The Visitor may, from time to time, appoint one or more persons to review the work and progress of the University, including any Institution managed by it, and to submit a report thereon; and upon receipt of that report the Visitor may, after obtaining the views of the Executive Council thereon through the Vice-Chancellor, take such action and issue such directions as he considers necessary in respect of any of the matters dealt with in the report and the University shall be bound to comply with such directions.

(3) The Visitor shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipment and of an Institution and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University or Institutions.

(4) The Visitor shall, in every matter referred to in sub-section (2), give notice of his intention to cause an inspection or inquiry to be made to the University and the University shall have the right to make such representations to the Visitor, as it may consider necessary.

(5) After considering the representations, if any, made by the University, the Visitor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3).

(6) Where any inspection or inquiry has been caused to be made by the Visitor, the University shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(7) The Visitor may, if the inspection or inquiry is made in respect of the University or any Institution address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry together with such views and advice with regard to the action to be taken thereon, as the Visitor may be pleased to offer, and on receipt of address made by the Visitor, the Vice Chancellor shall communicate to the Executive Council, the views of the Visitor with such advice as the Visitor may offer upon the action to be taken thereon.

(8) The Executive Council shall communicate, through the Vice-Chancellor, to the Visitor such action, if any, as it proposes to take or has been taken upon the result of such inspection or inquiry.

(9) Where, the Executive Council does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Visitor, the Visitor may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, issue such directions as he may think fit and the Executive Council shall comply with such directions.

(10) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Visitor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with this Act, the Statues or the Ordinances:

Provided that before making any such order, he shall call upon the Registrar to show cause why such an order should not be made, and, if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.

(11) The Visitor shall have such other powers as may be prescribed by the

Statutes.

10. The following shall be the officers of the University:-

Officers of the University.

- (1) the Chancellor,
- (2) the Vice-Chancellor;
- (3) the Pro-Vice-Chancellor;
- (4) the Deans of Schools;
- (5) the Registrar;
- (6) the Finance Officer;
- (7) the Librarian; and
- (8) such other officers as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

11. (1) The Chancellor shall be appointed by the Visitor in such manner as may be prescribed by the Statutes. The Chancellor.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the head of the University.

(3) The Chancellor shall, if present, preside at the convocation of the University held for conferring degrees and the meetings of the Court.

12. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor in such manner and on such terms and conditions of service as may be prescribed by the Statutes. The Vice-Chancellor.

(2) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(3) The Vice-Chancellor may, if he is of opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority the action taken by him on such matters:

Provided that if the authority concerned is of opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Visitor whose decision thereon shall be final:

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority of the University is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances or that any decision taken is not in the interest of the University, may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Visitor whose decision thereon shall be final.

(5) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.

13. The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes. The Pro-Vice-Chancellor.

14. Every Dean of a School shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes. The Deans of Schools.

15. (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed by the Statutes. The Registrar.

(2) The Registrar shall have the power to enter into agreement, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

16. The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes. The Finance Officer.

17. The Librarian shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes. The Librarian.

18. The manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University shall be prescribed by the Statutes. Other officers.

19. The following shall be the authorities of the University:- Authorities of the University.

(1) the Court;

(2) the Executive Council;

(3) the Academic council;

(4) the Board of Studies;

(5) the Finance Committee; and

(6) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

20. (1) The constitution of the Court and the term of office of its members shall be prescribed by the Statutes. The Court.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Court shall have the following powers and functions, namely:-

(a) to review, from time to time, the broad policies and programmes of

the University and to suggest measures for the improvement and development of the University;

(b) to advise the Visitor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and

(c) to perform such other functions as may be prescribed by the Statutes.

The Executive Council.

21. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.

(2) The Constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by the Statutes.

The Academic Council.

22. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, exercise general supervision over the academic policies of the University.

(2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by the Statutes.

The Board of Studies.

23. The constitution, powers and functions of the Board of Studies shall be prescribed by the Statutes.

The Finance Committee.

24. The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be prescribed by the Statutes.

Other authorities of the University.

25. The constitution, powers and functions of other authorities, as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be prescribed by the Statutes.

Power to make Statutes.

26. Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities and bodies, filling up of vacancies of members and all other matters relating to those authorities and other bodies for which it may be necessary or desirable to provide;

(c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;

(d) the appointment of teachers, academic staff and other employees of the University, their emoluments and other conditions of service;

(e) the appointment of teachers and academic staff working in any other University or organization for specific period for undertaking a joint project;

(f) the conditions of service of employees including provision for pension, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary action;

(g) the principles governing the seniority of service of the employees of the University;

(h) the procedure for arbitration in cases of dispute between employees or students and the University;

(i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or student against the action of any officer or authority of the University;

(j) the conferment of autonomous status on an Institution or a Department;

(k) the establishment and abolition of Schools, Departments, Centres, Halls and Institutions;

(l) the conferment of honorary degrees;

(m) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(n) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University;

(p) the maintenance of discipline among the employees and students;

(q) all other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

27. (1) The first Statutes are those set out in the Schedule.

Statutes how to be made.

(2) The Executive Council may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1):

Provided that the Executive Council shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council:

Provided further that the Executive Council shall not consider to make, amend or repeal any Statute relating to the matters provided under clauses (j) and (k) of section 26 except with the prior approval of the Visitor.

(3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall require the assent of the Visitor who may assent thereto or withhold assent or remit to the Executive Council for re-consideration.

(4) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall have no validity unless it has been assented to by the Visitor.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the

Visitor may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1), during the period of three years immediately after the commencement of this Act:

Provided that the Visitor may, on the expiry of the said period of three years, make, within one year from the date of such expiry, such detailed Statutes as he may consider necessary and such detailed Statutes shall be laid before both Houses of Parliament.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Visitor may direct the University to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Executive Council is unable to implement such direction within sixty days of its receipt, the Visitor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

Power to make Ordinances.

28. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
- (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
- (c) the medium of instruction and examination;
- (d) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
- (e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examination, degrees and diplomas of the University;
- (f) the condition for award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (h) the conditions of residence of the students of the University;
- (i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them;
- (j) the appointments and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;
- (k) the establishment of Centres of Studies, Board of Studies, Special Centres, Specialised Laboratories and other Committees;
- (l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities, Institutions and other agencies including learned bodies or associations in

India or abroad;

(m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic life of the University;

(n) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes;

(o) the management of Institution established by the University;

(p) setting up of a machinery for redressal of grievances of employees; and

(q) all other matters which, by this Act or the Statutes, are to be or may be, provided for by the Ordinances.

(2) The first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the previous approval of the Central Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statutes.

29. The authorities of the University may make Regulations, consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for the conduct of their own business and that of the Committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances, in the manner prescribed by the Statutes.

Regulations.

30. (1) The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects, and shall be submitted to the Visitor on or before such date as may be prescribed by the Statutes.

Annual report

(2) A copy of the annual report, as prepared under sub-section (1) shall also be submitted to the Central Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

31. (1) The Annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by the Comptroller and Auditor-General of India or by such persons as he may authorize in this behalf.

Annual accounts.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report thereon shall be submitted to the Visitor along with the observations of the Executive Council.

(3) Any observations made by the Visitor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Council, if any, on such observation shall be submitted to the Visitor.

(4) A copy of the annual accounts together with the audit report as submitted to the Visitor, shall also be submitted to the Central Government, who shall, as soon as may be, cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

(5) The audited annual accounts after having been laid before both Houses of Parliament shall be published in the Gazette of India.

Conditions of service of employees.

32. (1) Every employee of the University shall be appointed under a written contract, which shall be lodged with the University and a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

(2) Any dispute arising out of the contract between the University and any employee shall, at the request of the employee, be referred to a Tribunal of Arbitration consisting of one member appointed by the Executive Council, one member nominated by the employee and an umpire appointed by the Visitor.

(3) The decision of the Tribunal shall be final and no suit shall lie in any civil court in respect of the matters decided by the Tribunal.

(4) Every request made by the employee under sub-section (2) shall be deemed to be a submission to arbitration upon the terms of this section within the meaning of the Arbitration Act, 1940.

(5) The procedure for regulating the work of the Tribunal shall be prescribed by the Statutes.

Procedure of appeal and arbitration in disciplinary cases against students.

33. (1) Any student or candidate for an examination whose name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Vice-Chancellor, Discipline Committee or Examination Committee, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examination of the University for more than one year, may, within ten days of the date of receipt of such orders or copy of such resolution by him, appeal to the Executive Council and the Executive Council may confirm, modify or reverse the decision of the Vice-Chancellor or the Committee, as the case may be.

(2) Any dispute arising out of any disciplinary action taken by the University against a student shall, at the request of such student, be referred to a Tribunal of Arbitration and the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 32 shall, as far as may be, apply to a reference made under this sub-section.

Right to appeal.

34. Every employee or student of the University or Institution shall, notwithstanding anything contained in this Act, have a right to appeal within such time as may be prescribed by the Statutes, to the Executive Council against the decision of any officer or authority of the University or of Institution, as the case may be, and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the decision appealed against.

Provident and pension funds.

35. (1) The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or pension fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes.

(2) Where such provident fund or pension fund has been so constituted, the Central Government may declare that the provision of the Provident Funds Acts, 1925, shall apply to such fund, as if it were a Government provident fund.

Disputes as to constitution of University authorities and bodies.

36. If any question arises as to whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Visitor whose decision thereon shall be final.

Constitution of Committees.

37. Where any authority of the University is given power by this Act or the Statutes to appoint Committees, such Committees shall, save as otherwise provided,

consist of the members of the authority concerned and of such other person, if any, as the authority in each case may think fit.

38. All casual vacancies among the members (other than *ex officio* members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be, by the person or body who appoints, elects or co-opts the member whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Filling of casual vacancies.

39. No act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

Proceedings of University authorities or bodies not invalidated by vacancies.

40. No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act, the Statutes or the Ordinances.

Protection of action taken in good faith.

41. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University, or other documents in possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence, notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 or in any other law for the time being in force.

Mode of proof of University record.

42. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

43. Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes:-

Transitional provisions.

(a) the first Chancellor shall be appointed by the Visitor and the said officer shall hold office for a term of five years;

(b) the first Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor in such manner and on such conditions as may be deemed fit and the said officer shall hold office for such term, not exceeding five years as may be specified by the Visitor;

(c) the first Registrar and the first Finance Officer shall be appointed by the Visitor and each of the said officers shall hold office for a term of three years;

(d) the first Court and the first Executive Council shall consist of not more than thirty members and eleven members respectively who shall be nominated

by the Visitor and they shall hold office for a term of three years;

(e) the first Academic Council shall consist of not more than twenty-one members who shall be nominated by the Visitor and shall hold office for a term of three years:

Provided that if any vacancy occurs in the above offices or authorities, the same shall be filled by appointment or nomination, as the case may be, by the Visitor, and the person so appointed or nominated shall hold office for so long as the officer or member in whose place he is appointed or nominated would have held that office, if such vacancy had not occurred.

Statutes,
Ordinances and
Regulations to
be published in
the Official
Gazette and to
be laid before
Parliament.

44. (1) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be published in the Official Gazette.

(2) Every Statute, Ordinance or Regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the Statute, Ordinance or Regulation or both Houses agree that the Statute, Ordinance or Regulation should not be made, the Statute, Ordinance or Regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute, Ordinance or Regulation.

(3) The power to make Statutes, Ordinances or Regulations shall include the power to give retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of this Act, to the Statutes, Ordinances or Regulations or any of them but not retrospective effect shall be given to any Statute, Ordinance or Regulation so as to prejudicially affect the Interests of any person to whom such Statute, Ordinance or Regulation may be applicable.



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3: के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

**दूर शिक्षा निदेशालय
के
अध्ययन बोर्ड की पांचवी बैठक**

(12 मार्च, 2015)

कार्यवृत्त

स्थान - निदेशक कक्ष
दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी दूर शिक्षा निदेशालय

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442 005 (महाराष्ट्र)

फोन नं. : 07152-247146, 255360

वेब साइट www.hindivishwa.org

विषय - 1

1. अध्ययन बोर्ड की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त को पुष्टि किए जाने संबंध में।

दिनांक 09-10 जनवरी, 2014 को दूर शिक्षा निदेशालय के अध्ययन बोर्ड की चतुर्थ बैठक रखी गई थी, उक्त बैठक का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

निर्णय - अध्ययन बोर्ड की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इसके लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया जाए जिसके सदस्य डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर और डॉ. शैलेश मरजी कदम होंगे यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

विषय - 2

2. सत्र 2015-16 हेतु पुराने/नए पाठ्यक्रमों का संचालन करने का प्रस्ताव। (शुल्क सहित)

सत्र 2015-16 से निम्न पाठ्यक्रम संचालन करने हेतु प्रस्तावित है साथ ही शुल्क का प्रस्ताव भी निम्नानुसार दिया गया है।

वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम

क्र.	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम शुल्क	प्रवेश शुल्क	नामांकन शुल्क	परिचय पत्र	परीक्षा शुल्क	उपाधि शुल्क	कुल (रुपये में) (वैद्यक शुल्क अलग)
01	M.S.W.	8,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	1000		9,500
		8,000 (द्वितीय वर्ष)	200			1000	250	9,550
02	M.A. (J&M.C.)* (पूर्व में M.J.M.C.)	5,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	1000		6,500
		5,000 (द्वितीय वर्ष)	200			1300	250	6,750
03	M. Lib.I.Sc.* (पूर्व में MLIS)	5,000	200	200	100	2000	250	7,750
04	B. Lib.I.Sc.* (पूर्व में B.L.I.S.)	5,000	200	200	100	2000	250	7,750
05	B.A. (J&M.C.)* (पूर्व में B.J.M.C.)	5,000	200	200	100	2000	250	7,750
06	P.G.D.E.M.&F.P.	5,500	200	200	100	1300	250	7,750
07	P.G.D.J.M.C.	3,000	200	200	100	1000	250	4,750
08	M.B.A.	11,500 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2500		14,500
		11,500 (द्वितीय वर्ष)	200			2500	250	14,450

(* दिनांक 05 जुलाई, 2014 को राजपत्र में प्रकाशित यूजीसी के नए मापदण्डों के अनुसार)

निर्णय - वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि क्रमांक 2,3,4 एवं 5 के संदर्भ में यूजीसी के मापदण्डों के अनुसार पाठ्यक्रम का नाम रखा जाए। प्रस्तावित पाठ्यक्रम शुल्क को यथावत अनुमोदित किया गया।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं शुल्क विवरण -

क्र.	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम शुल्क	प्रवेश शुल्क	नामांकन शुल्क	परिचय पत्र	परीक्षा शुल्क	उपस्थिति/ प्रमत्तपत्र शुल्क	कुल (रुपयों में) (एकल शुल्क संकेत)
01	PGDCA	2500 (प्रथम सत्र)	200	200	100		250	
		2500 (द्वितीय सत्र)						
02	B.Ed.	5,000 (प्रथम सत्र)	1000	200	100		500	6,800
		5,000 (द्वितीय सत्र)	—	—	—		—	5,000
		5,000 (तृतीय सत्र)	—	—	—		—	5,000
		5,000 (चतुर्थ सत्र)	—	—	—		—	5,000
03	M.A. (Hindi)	2,000 (प्रथम सत्र)	200	200	100	250 प्रति प्रश्नपत्र		4,500
		2,000 (द्वितीय सत्र)						
		2,000 (तृतीय सत्र)						250
		2,000 (चतुर्थ सत्र)						
04	M.A. (History)	2,000 (प्रथम सत्र)	200	200	100			
		2,000 (द्वितीय सत्र)						
		2,000 (तृतीय सत्र)						250
		2,000 (चतुर्थ सत्र)						
05	M.A. (English)	2,000 (प्रथम सत्र)	200	200	100			
		2,000 (द्वितीय सत्र)						
		2,000 (तृतीय सत्र)						
		2,000 (चतुर्थ सत्र)						250
06	B.Com/BBA (Dual Degree)	4,000 (प्रथम सत्र)	200	200	100	250 प्रति प्रश्नपत्र		
		4,000 (द्वितीय सत्र)						
		4,000 (तृतीय सत्र)	200	—	—			
		4,000 (चतुर्थ सत्र)						
		4,000 (पंचम सत्र)						
07	M.Com/MBA (Dual Degree)	5,700 (प्रथम सत्र)	200	200	100			
		5,700 (द्वितीय सत्र)						
		5,700 (तृतीय सत्र)						
		5,700 (चतुर्थ सत्र)	200	—	—			
		5,700 (चतुर्थ सत्र)						250

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा पूर्व से संचालित निम्न पाठ्यक्रमों को विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए सत्र 2015-16 से BBA/DBM/DMM पाठ्यक्रमों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

निर्णय -

1. प्रस्तावित Dual Degree पाठ्यक्रम (B.Com/BBA, M.Com/MBA) को स्थगित रखा गया।
2. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को एवं शुल्क को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि पाठ्यसामग्री की उपलब्धता के आधार पर प्रारंभ किया जाए। अथवा संदर्भ किताबों और ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रारंभ किया जाए।
3. निदेशक महोदय द्वारा यह सूचित किया गया है कि, NCTE, Bhopal के पत्रांक APP1506/217th/B.Ed./2015/132048 दिनांक 28.02.2015 के तहत म. गा.अ.हि.वि. उर्बा को दूर शिक्षा के माध्यम से B.Ed. (ODL) पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु 500 सीटों की अनुमति प्राप्त हुई है। अध्ययन बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा इस विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि मानते हुए सभी सदस्यों द्वारा हर्ष व्यक्त किया। यह भी निर्णय लिया गया है कि, यह पाठ्यक्रम दूर शिक्षा मुख्यालय के साथ-साथ देश के विभिन्न स्थानों से अध्ययन केंद्र के माध्यम से भी संचालित किया जाए।

M. K. Das

20/10/15

20

20/10/15

3. सत्र 2015-16 हेतु प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रमों हेतु संयोजकों को नामित करने के संबंध में।
सत्र 2015-16 से संचालित निम्न पाठ्यक्रमों का संयोजक नियुक्ति पर विचार किया जाने हेतु प्रस्तुत।

क्र.	संचालित-पाठ्यक्रम/संयोजक के नाम	
01	M.S.W.	डॉ. शंभू जोशी
02	M.A. (J&M.C.)* (पूर्व में M.J.M.C.)	प्रो. संतोष भदौरिया
03	M. Lib.I.Sc.* (पूर्व में MLIS)	श्री आनंद मण्डित मलयज
04	B. Lib.I.Sc.* (पूर्व में B.L.I.S.)	श्री आनंद मण्डित मलयज
05	B.A. (J&M.C.)* (पूर्व में B.J.M.C.)	डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा
06	P.G.D.E.M.&F.P.	डॉ. संदीप सपकाले
07	P.G.D.J.M.C.	डॉ. अमित राय
08	M.B.A.	डॉ. रविन्द टी. बोरकर

- निर्णय -**
1. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों के संयोजकों को यथावत रखा जाए।
 2. प्रस्तावित निम्न पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम के आगे दर्शाए गए शिक्षक/कर्मियों को पाठ्यक्रम संयोजक के रूप में नामित किया गया।

- PGDCA - श्री गिरीश पाण्डेय
- B.Ed. - डॉ. ऋषभ कुमार मिश्र
- M.A. (Hindi) - डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा
- M.A. (History) - पृथक से निर्णय लिया जाना है।
- M.A. (English) - पृथक से निर्णय लिया जाना है।

विषय - 4

4. विभिन्न विश्वविद्यालयों से एमओयू किए जाने के संबंध में।
दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा सत्र 2015-16 से प्रारंभ किए जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यसामग्री की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालय से एमओयू कराए जाने पर विचार किया जा रहा है, प्रस्ताव पर विचारार्थ प्रस्तुत।

- निर्णय -**
- निदेशक महोदय द्वारा यह सूचित किया गया है की पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति से बातचित हुयी है तथा इस संदर्भ में वे कुलसचिव पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर से प्राप्त पत्र (पत्रांक 28/पा.निर्मा./2015 दिनांक 11.03.2015) अध्ययन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया।
- उक्त पत्र के माध्यम से कुलसचिव पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर द्वारा सूचित किया गया है कि, हिन्दी भाषा राज्य होने के कारण सभी पाठ्यक्रमों में स्कअध्ययन सामग्री हिन्दी भाषा में ही उपलब्ध करवायी जाती है। आपके विश्वविद्यालय द्वारा दूर शिक्षा निदेशालय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय हिन्दी के अंतर्गत संचालित 11 पाठ्यक्रमों एवं पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पाठ्यक्रमों के आदान-प्रदान एवं विकास हेतु हमारा विश्वविद्यालय आपसे एमओयू करना चाहता है। आपकी सहमति हो तो इस संबंध में एमओयू की शर्तों के संबंध में आपके विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश (गाइड लाईन) भेजने का कष्ट करेंगे।
- अध्ययन बोर्ड द्वारा पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर से प्राप्त पत्र पर विचार विमर्श करने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि म.गां.अ.हिं.वि. वर्धा दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की पाठ्यसामग्री के लिए पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर से एम.ओ.यू. करने की अनुमति प्रदान की।
2. अध्ययन बोर्ड के सदस्य श्री संदीप मनुकर सपकाले द्वारा आग्रह किया गया है कि YCMOU नाशिक से भी एम.ओ.यू. करने हेतु सूझाव दिया। अध्ययन बोर्ड द्वारा विचार विमर्श कर YCMOU नाशिक को इस संबंध में पत्र लिखने हेतु कहा गया।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

दूर शिक्षा निदेशालय
के
अध्ययन बोर्ड की छठी बैठक

(03.05.2016)

कार्यवृत्त

स्थान - समा कक्ष, डायस्पोरा विभाग

दूर शिक्षा निदेशालय

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्ग-442 006 (महाराष्ट्र)

फोन नं. : 07152-247146, 255360

वेब साईट: www.hindivishwa.org

Parimal Piyadasthi
5/5/2016

5/5/2016

विद्या-परिषद्

22वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 14 मार्च, 2015 (शनिवार)
समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान : सभाकक्ष, भाषा विद्यापीठ
विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 से अंतर्राष्ट्रीय स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

website: hindivishwa.org

मद संख्या-22

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित / प्रस्तावित पाठ्यक्रम : दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत पूर्व में संचालित एवं सत्र 2015-16 से प्रस्तावित नए पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

मद संख्या-23

काउंसिल ऑफ इंडियन ओपन स्कूल एजुकेशन से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश : संस्था से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में अर्हता के अनुसार प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई।

मद संख्या-24

विद्या-परिषद एवं अन्य सक्षम निकायों की बैठकों के समयबद्ध आयोजन : प्रस्ताव का स्वागत करते हुए अनुमोदन किया गया।

मद संख्या-25

शिक्षा विद्यापीठ में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विषय विशेषज्ञों का चयन : पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में बनी विषय विशेषज्ञों की सूची में संकायाध्यक्ष द्वारा सुझाए गए नामों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या-26

सीबीसीएस के अंतर्गत परीक्षा मूल्यांकन पद्धति तथा 2015-16 में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों का पाठ्यविवरण : प्रस्तावित मूल्यांकन पद्धति तथा संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों के पाठ्यविवरण का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

मद संख्या-27

दूर शिक्षा निदेशालय के अध्ययन बोर्ड के कार्यवृत्त का अनुमोदन : अनुमोदन किया गया।

मद संख्या-28

स्त्री अध्ययन विभाग के अध्ययन बोर्ड की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन : अनुमोदन किया गया।



महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा 'ए' ग्रेड प्रमाणित)

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र)

website: hindivishwa.org

विद्या-परिषद् की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	:	23 जून, 2015 (मंगलवार)
समय	:	पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान	:	सभाकक्ष, भाषा विद्यापीठ विश्वविद्यालय परिसर, वर्धा



मद संख्या -19

दूर शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत डीसीए, पीजीडीसीए तथा एमए हिंदी पाठ्यक्रमों को सत्र 2015-16 से शुरू करने का अनुमोदन : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद संख्या -20

छात्र प्रतिनिधि से प्राप्त प्रस्ताव : छात्र प्रतिनिधि, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने विद्या-परिषद की 22वीं बैठक के निर्णयानुसार विद्यार्थियों के मुद्दों पर कार्रवाई न होने का उल्लेख किया। उन्हें संबंधित आवश्यक मुद्दों हेतु कुलपति से मिलकर चर्चा करने के लिए कहा गया।

उनके इस आग्रह पर कि JRF/RGNMF/MANF के शोधार्थियों को यूजीसी एचआरए का भुगतान करती है। विश्वविद्यालय उनके लिए बाहर किराए से छात्रावास की व्यवस्था करे, पर निर्णय लिया गया कि इस तरह की व्यवस्था बाहर किराए पर करना संभव नहीं है। विश्वविद्यालय के भगत सिंह छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर तथा संसाधनों की उपलब्धता के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

दूर शिक्षा निदेशालय के अध्ययन बोर्ड की 10 वीं बैठक

(11.10.2019)

कार्यवृत्त

स्थान - निदेशक कक्ष, दूर शिक्षा निदेशालय

दूर शिक्षा निदेशालय

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442 001 (महाराष्ट्र)

फोन नं. : 07152-247146, 255360

वेब साइट: www.hindivishwa.org

मद संख्या- 2 :- सत्र 2020-21 से बी.ए. (स्नातक) पाठ्यक्रम के संचालन संबंधी प्रस्ताव।

दिनांक 25-09-2019 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में प्रभारी: दूर शिक्षा निदेशालय, शिक्षकों, अधिकारियों एवं पाठ्यक्रम संयोजकों की बैठक आयोजित हुई जिसमें निम्नानुसार निर्णय लिये गये-

सत्र 2020-21 से निम्नलिखित विषयों में बी.ए. स्नातक पाठ्यक्रम दूर शिक्षा के माध्यम से संचालित से दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित किए जायें। इस पाठ्यक्रम में निम्नांकित विषयों को सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थी इन विषयों में से अनिवार्य 5 (पांच) एवं 1(एक) ऐच्छिक विषय ऐसे 6 (छह) विषय का चयन छात्र द्वारा किया जाएगा।

अ) 1. हिंदी-अनिवार्य

ब) भाषा समूह (कोई एक ऐच्छिक भाषा (विषय):-

1. अंग्रेजी, 2. संस्कृत 3. उर्दू 4. स्पेनिश 5. जापानी 6. मराठी

क) सामाजिक विज्ञान समूह- (सभी चार विषय अनिवार्य)

1. समाजशास्त्र 2. राजनीतिशास्त्र 3. इतिहास 4. जनसंचार

निर्णय 1- बी.ए. पाठ्यक्रम की संरचना निम्नांकित के अनुसार स्वीकृत की गई।

अ) 1. हिंदी-अनिवार्य

ब) भाषा समूह (कोई एक ऐच्छिक भाषा (विषय)-

1. अंग्रेजी 2. संस्कृत 3. उर्दू 4. स्पेनिश 5. जापानी 6. मराठी

क) सामाजिक विज्ञान समूह- (कोई तीन विषय अनिवार्य)

1. समाजशास्त्र 2. राजनीतिशास्त्र 3. इतिहास 4. जनसंचार

बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्रों को अनिवार्य 4 (चार) एवं 1 (एक) ऐच्छिक विषय ऐसे कुल 5 (पांच) विषय का चयन कर पाठ्यक्रम संपन्न करना होगा।

निर्णय 2- उक्त के अनुसार संबंधित पाठ्यक्रम संयोजक द्वारा प्राप्त पाठ्यचर्या की समीक्षा एवं सुझाव हेतु समिति का गठन किया निम्नानुसार किया गया -

1. डॉ शंभू जोशी, सहायक प्रोफेसर, दू.शि.नि.

2. डॉ अमित राय, सहायक प्रोफेसर, दू.शि.नि.

3. मद संख्या 03 पर उल्लिखित संबंधित पाठ्यक्रम संयोजक

उक्त के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।

12

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

पश्चिम क्षेत्रीय समिति

F.No. APP1506/217/Y B.Ed./2015



भारत में
NCTE

National Council for Teacher Education

(A Statutory Body of the Government of India)

Western regional Committee

Date: 28.02.2015

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4 ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 1.12.2014,

2. AND WHEREAS, the institution Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha (Central University), Plot Number: 18, Village: Umarl, Post Office: Manas Mandr, Tehsil/City/District: Wardha: 442001, Maharashtra has by affidavit consented to come under new Regulations and sought recognition for a basic unit of B.Ed. (ODL) which require additional facilities.

3. AND WHEREAS, it has been decided to permit the institution to have one basic unit of 50 students subject to the institution fulfilling following conditions namely,

- (i) The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- (ii) The applicant-institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate(LUC) and the Building Plan(BP)in the specified Proforma available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building Completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available, otherwise it can also be given to the Visiting team at the time of inspection.
- (iii) The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these conditions by 20 Feb, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2015-2017.

4. Now therefore, in the light of the above and in terms of Section 14(3) (a) of NCTE Act and in accordance with the Regulations, 2014, the Western Regional Committee, NCTE hereby grants recognition to Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha (Central University), Plot Number: 18, Village: Umarl, Post Office: Manas Mandr, Tehsil/City/District: Wardha: 442001, Maharashtra for conducting B.Ed. (ODL) programme of 2 years duration for an annual intake of 50 students for session 2015-2016 subject to the condition that one study centre shall enroll not more than 50 students in a given session subject to fulfillment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, only the following category of institutions shall qualify to become a Study Centre:

Existing Teacher Education Institutions recognized by NCTE for offering the same programme in face-to-face mode and having all the requisite infrastructure and staff as per NCTE norms; institutions having offered the relevant teacher education course for at least last five years. Institutions declared as Study Centre for one course/programme by a University shall not be the Study Centres for any other programme of the same or any other University/Institution.

मानसु भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दूरभाष/ Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372 दूरभाष/ Fax: 0755-2660912

Email: wrc@ncte-india.org Website : www.nctewrc.co.in

NCTE HQs. Website : www.ncte-india.org

- (b) (i) The number of students allotted to a Study Centre shall not exceed one hundred (50 for the first year and 50 for the second year). (ii) The Study Centre shall provide to the distance learners (allocated to it) access to its library, laboratories and other physical facilities. (iii) The Headquarters or the Regional Centre of the ODL institution may also function as a Study Centre at least for one hundred (50 first year and 50 second year) students.
- (c) Teacher educators/supervisors/academic counselors engaged for various activities of the Study Centre shall be fully qualified as per the NCTE norms.
- (d) All the functionaries associated with the activities of the Study Centres must be oriented by the open university/institution in the practice of the ODL system from time to time, but at least once in a year.
- (e) The request for additional unit of intake in any programme shall be examined by the NCTE on the basis of availability of required facilities in respect of study centres and related support in the territorial jurisdiction of the institution. Laid down procedures shall be followed for seeking recognition for additional intake.

6. Further, the recognition is subject to fulfilment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, the State Government etc. as applicable.

7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.

8. The institution shall maintain & update its web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution;
- b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
- c) Name of faculty members who left or joined during the last quarter;
- d) Names of Students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;
- e) Fee charged from students;
- f) Available infrastructural facilities;
- g) Facilities added during the last quarter;
- h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;
- i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
- j) The institution shall be free to post additional relevant information, if it so desires.
- k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.
- l) NCTE, New Delhi vide letter no. F.49-15/2013/NCTE/N&S dated 12th September, 2013 has granted relaxation to Central Universities under clause 12 of extant NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulation 2009 that the infrastructural requirements shall be fulfilled within a period of 3 years; provided adequate infrastructural arrangement is made on lease/rental basis as per the stipulations of NCTE, before approval.

In case, at the end of 3 years all the criteria, as per the Rules and Regulations of the NCTE are not fulfilled, the Regional Committee would be at liberty to withdraw the recognition given to the respective Central Universities.

If the institution Contravenes any of the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order,


(Sunil Shrivastava)
Regional Director

The Manager,
Government of India Press,
Department of Publications (Gazette Section),
Civil Lines, New Delhi - 110054.

To:  The Principal,
Mahatma Gandhi Antarmashtriya Hindi Vishwavidyalay,
Wardha (Central University),
Plot Number: 18, Village: Umarl,
Post Office: Manas Mandir,
Tehsil/City/District: Wardha: 442001,
Maharashtra

Copy to:-

1. The Registrar, Mahatma Gandhi Antarmashtriya Hindi Vishwavidyalay, Street - Gandhi Hills, Village - Umarl, P.O. Manas Mandir, Tehsil/City/Dist. - Wardha - 442001, Maharashtra.
2. The Education Secretary, (Higher Education), Govt. of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai, Maharashtra.
3. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001.
4. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
5. The Computer Programmer, Computer Section, WRO, (NCTE), Bhopal with a request to include the name of the institution in the recognized list uploaded in WRC website.
6. Office Order file/institution file APP1506.


Regional Director

संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण

(निदेशालय से संचालित समस्त पाठ्यक्रम यूजीसी की दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB), नई दिल्ली एवं NCTE से मान्यता प्राप्त हैं।)

क्र.	पाठ्यक्रम	कोड	पात्रता	पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अवधि न्यूनतम-अधिकतम	
				2 वर्ष	4 वर्ष
1.	व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (MBA)	001	स्नातक (GEN/OBC के लिए 45% SC/ST/PH 40% अंक)	2 वर्ष	4 वर्ष
2.	समाजकार्य में स्नातकोत्तर (MSW)	002	स्नातक	2 वर्ष	4 वर्ष
3.	पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (MJ)	003	बीजे	1 वर्ष	3 वर्ष
4.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर (MLibISc)	004	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक	1 वर्ष	3 वर्ष
5.	एमए हिंदी (MAHD)	010	स्नातक	2 वर्ष	4 वर्ष
6.	शिक्षा स्नातक (BEEd)	012	1. प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक 2. वे अभ्यर्थी, जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस टू फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया है। 3. स्नातक (सामान्य के लिए 50% OBC-NCL/SC/ST/PH 45% अंक)	2 वर्ष	5 वर्ष
7.	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (BLibISc)	006	स्नातक	1 वर्ष	3 वर्ष
8.	पत्रकारिता में स्नातक (BJ)	007	स्नातक	1 वर्ष	3 वर्ष
9.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDEM&FP)	008	स्नातक	1 वर्ष	3 वर्ष
10.	पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDJMC)	009	स्नातक	1 वर्ष	3 वर्ष

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों का माध्यम हिंदी है। सभी पाठ्यक्रमों के लिए समय-समय पर संपर्क कक्षाओं (Contact Classes) का आयोजन किया जाएगा। इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट : www.hindivishwa.org/distance पर दी जाएगी।

10. पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (009PGDJMC)

प्रस्तुत पाठ्यक्रम का उद्देश्य मीडिया क्षेत्र में कार्यरत लोगों तथा उनके व्यावसायिक विकास से जुड़े ज्ञान व कौशल में वृद्धि कराना है। यह डिप्लोमा जनसंचार एवं पत्रकारिता के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों को सर्वांगीण दृष्टि प्रदान करता है। इस डिप्लोमा के लिए पटकथा लेखक, रिपोर्टर, संपादक, फोटोग्राफर, तकनीकी सहायक, जनसंपर्क अधिकारी आदि के अनुभव स्वीकार्य होंगे। यह पाठ्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय	क्र.	कोड	विषय
1	PGDJMC01	जनसंचार एवं पत्रकारिता : स्वरूप और सिद्धांत	3	PGDJMC03	समाचार संकलन, लेखन एवं संपादन
2	PGDJMC02	मीडिया और समाज	4	PGDJMC04	जनसंपर्क एवं विज्ञापन

नोट : समस्त पाठ्यक्रमों के अंग्रेजी पाठ्य-विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

शुल्क सारिणी

क्र.	पाठ्यक्रम	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	नामांकन शुल्क	परिचय पत्र शुल्क	परीक्षा शुल्क	उपाधि शुल्क	कुल पाठ्यक्रम शुल्क (₹ में)
1.	MBA	11,500 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2,500	—	14,500
		11,500 (द्वितीय वर्ष)	—	—	—	2,500	250	14,250
2.	MSW	8,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2,500	—	11,000
		8,000 (द्वितीय वर्ष)	—	—	—	2,500	250	10,750
3.	MJ	9,500	200	200	100	2,000	250	12,250
4.	MLiBISc	5,000	200	200	100	2,000	250	7,750
5.	MAHD	4,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2,500	—	7,000
		4,000 (द्वितीय वर्ष)	—	—	—	2,500	250	6,750
6.	BEEd	10,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2,500	—	13,000
		10,000 (द्वितीय वर्ष)	—	—	—	2,500	250	12,750
7.	BLibISc	5,000	200	200	100	2,000	250	7,750
8.	BJ	5,000	200	200	100	2,000	250	7,750
9.	PGDEM&FP	5,500	200	200	100	1,300	250	7,550
10.	PGDJMC	3,000	200	200	100	1,000	250	4,750

शिक्षण शुल्क में छूट : दिव्यांग एवं बीपीएल वर्ग को संबंधित प्रमाणपत्र जमा करने पर शिक्षण शुल्क में क्रमशः 50 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (बीएड)

(Programme Project Report B.Ed.)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य(Programme's mission & objectives) :

आज शिक्षा, अपने अनेक रूपों और संस्थाओं के साथ समाज में उपस्थित है। इसे वैयक्तिक विकास, सामाजिक बदलाव और आर्थिक विकास को पाने के माध्यम के रूप में देखा जाता है। बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश ने जहाँ शिक्षा के नए अवसर पैदा किए हैं वहीं कुछ नई चुनौतियाँ भी खड़ी की हैं। समकालीन परिवेश में शिक्षा की विकास की अन्य नीतियों के साथ सघन अन्तःक्रिया भी हो रही है। इस प्रसंग में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने और इसके संस्थागत रूप के क्रियान्वयन के साथ-साथ उसके प्रति एक सर्तक आलोचनात्मक दृष्टि भी रखने की आवश्यकता है। इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षक-शिक्षकों की अकादमिक और वृत्तिक विकास के अवसरों को उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम का उद्देश्य योग्य, रचनाधर्मी, समर्पित और संवेदनशील अध्यापक का विकास है, जो विद्यार्थियों को उनके सामाजिक सन्दर्भ के अन्तर्गत समझे और ज्ञान के सह-निर्माण के अवसर उपलब्ध कराएँ। इसके साथ शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में शोध के प्रति सचेत करना और शोध कार्य का बीजारोपण करना, शिक्षा के विभिन्न सरोकारों से जुड़े परिप्रेक्ष्यों का विकास करने का प्रयास भी इस विद्यापीठ द्वारा किया जायेगा।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता(Relevance of the program with HEI's Mission and Goals):

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाना होगा।

साथ ही धारा 5 के उपबन्ध (5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उदघाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके-विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह केन्द्र हिन्दी भाषा को आधार बनाकर प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। हिन्दी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिन्दी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही, दूसरी ओर हिन्दी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह केन्द्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केन्द्र अपने ध्येय 'शिक्षा जन-जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिन्दी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिन्दी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के हिन्दी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

बीएड पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने प्रस्तावित किया गया है। एक ओर यह पाठ्यक्रम समाज विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम के जरिए अधिक लोगों तक पहुँचने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम पेशेवर पाठ्यक्रम होने के कारण रोजगारपरक कौशल भी प्रदान करता है।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति(Nature of prospective target group of learners):

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- सेवारत शिक्षक जो बी.एड.पूर्व शिक्षक उपाधि के आधार पर कार्यरत हों और बी.एड. की उपाधि प्राप्त करना चाहते हों

4) दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक पेशेवर पाठ्यक्रम है अतएव विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे –

- भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास एवं वर्तमान के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- अध्यापन के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- विद्यालयों में विद्यालयीन अध्यापन कार्य कर सकेंगे।
- अध्यापन कार्य को रोचक, संवेदनशील एवं साझी प्रक्रिया बना सकेंगे।
- शिक्षक एवं विद्यार्थी सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो सकेंगे।
- शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- विभिन्न सरकारी शिक्षण नीतियों का परिचय प्राप्त करने, क्रियान्वयन एवं समीक्षा में सक्षम हो सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन विडियो सामग्री – ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन विडियो की वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श – विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रकार्य आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।
- परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation):

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क निर्धारण प्रथम वर्ष हेतु 13000/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु 12750/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाता है। पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की गई है और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। कुल पूर्णांक में से सत्रांत/वार्षिक परीक्षा के लिए 70% तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources):

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में प्रायोगिक कार्य अनिवार्य है अतएव इन दोनों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें विद्यालयों में कक्षाएं भी लेनी होंगी।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान(Cost estimate of the programme and the provisions):

बी.एड. पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	प्रथम वर्ष कुल इकाई – 80	रु. 4,000/- प्रति इकाई	3,20,000/-	4,00,000/-
	द्वितीय वर्ष कुल इकाई – 20	रु. 4,000/- प्रति इकाई	80,000/-	
2	डाक व स्टेशनरी	10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल	4,10,000/-
(चार लाख दस हजार मात्र)				

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के प्रयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

9) गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावितकार्यक्रम परिणाम (Quality assurance mechanism and expected programme outcomes):

इस पाठ्यक्रम में हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशकको प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे।

पाठ्यक्रम का नाम : बी.जे. (पत्रकारिता एवं जनसंचार)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य (Programmer's mission & objectives)

बी.जे. (पत्रकारिता एवं जनसंचार) पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ सभी वर्तमान रूझानों तथा साइबर और इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता में अद्यतन विकास का प्रशिक्षण देना है। सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों/संचार कर्मियों को उनकी जानकारी देना और संबद्ध अवसरों को परिभाषित करना। रिपोर्ट लेखन/संपादन/प्रोडक्शन एवं वितरण की नई/उभरती हुई तकनीकों की जानकारी देना। सरकारी मीडिया संगठनों और निजी प्रयासों की भूमिका की जानकारी देना। छात्रों को मीडिया की आधुनिकतम तकनीक में प्रशिक्षित करने के साथ ही उन्हें व्यावहारिक क्षेत्र में कुशल बनाना। छात्रों को विषयक्षेत्र की अब तक उपलब्ध आधुनिकतम तकनीक से परिचित कराना। विषय-क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यावहारिक प्रयोजनमूलक ज्ञान प्रदान करना। प्रतिभा संपन्न छात्रों को मीडिया के प्रतिष्ठानों में सेवा के अवसर प्रदान कराना आदि है

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता (Relevance of the program)

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य- दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाना होगा।

साथ ही धारा 5 के उपबन्ध (5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करता है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके-विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह केन्द्र हिन्दी भाषा को आधार बनाकर प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद पत्रकारिता आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। हिन्दी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिन्दी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही, दूसरी ओर हिन्दी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है।

अतः यह केन्द्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केन्द्र अपने ध्येय 'शिक्षा जन-जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिन्दी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिन्दी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के हिन्दी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

बी.जे. जनसंचार एवं पत्रकारीता पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों ध्यान में रखकर अपने प्रस्तावित किया गया है। एक ओर यह पाठ्यक्रम पत्रकारीता के क्षेत्र में अपना करियर करने वाले छात्रों को अनेक कौशल्य प्राप्त करने में सक्षम होगा।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति (Nature of prospective target group of learners)

पाठ्यक्रम निम्नलिखित शिक्षार्थी समूहों को दृष्टि में रखकर विकसित किया गया है—

1. किसी भी शाखा से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी।
2. समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडिओ, दूरदर्शन आदि संगठनों में कार्यरत पत्रकार।
3. स्वतंत्र पत्रकार।
4. मीडिया में कार्य करने के इच्छुक सभी शिक्षित जन।

4) दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence)

पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरान्त विद्यार्थी निम्नलिखित दक्षताएँ प्राप्त कर सकेंगे—

1. जनसंचार माध्यमों के इतिहास को जान सकेंगे।
2. मीडिया संस्थान के संगठनात्मक ढाँचे को जान सकेंगे।
3. मीडिया कानून को विस्तार से समझ सकेंगे।
4. संचार के सिद्धांतों एवं प्रक्रिया को जान सकेंगे।
5. विकासात्मक संचार की अवधारणा को जान सकेंगे।
6. मीडिया लेखन के सभी बिंदुओं को लिखने में सक्षम होंगे।

7. जनसंपर्क की अवधारणा, स्वरूप एवं सिद्धांतों का ग्रहन अध्ययन करेंगे
8. विज्ञापन की अवधारणा स्वरूप एवं व्यवहारिक पक्ष की जानकारी प्राप्त करेंगे।
9. संपादन कला में दक्षता प्राप्त करेंगे।
10. मीडिया में संगणक की उपयोगिता जान सकेंगे।
11. साइबर मीडिया की अवधारणा एवं स्वरूप को जान सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप

(Instructional Design)

1. **प्रकाशित सामग्री** - निदेशालय प्रवेशित छात्रों को प्रकाशित सामग्री उपलब्ध करता है। इस पाठ्यक्रम की कुल 7 पुस्तकें हैं। पाठ्यचर्या के अनिवार्य हिस्से के रूप में छात्रों को एक लघु परियोजना कार्य करना होता है। यह लघु परियोजना कार्य सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक दानों रूपों में हो सकता है। विद्यार्थी अपने अनुसार विषय एवं संगठन का चुनाव कर सकता है। इसे करने के लिए एक परियोजना मार्गदर्शिका तैयार की गई है। जो दूर शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. **परामर्श सत्र** - दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त अध्ययन केंद्र में प्रवेशित विद्यार्थियों को संबंधित अध्ययन केंद्रों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा तथा अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा विषय को समझाया जाता है। इस हेतु छात्रों की शनिवार रविवार को कक्षाएँ लगती हैं। या छात्रों के मन में पाठ्यचर्या संबंधी कोई सवाल होतो उसे की संवादात्मक माध्यम से समझाया जाता है।
3. **ऑनलाइन पाठसामग्री** - विषय से संबंधित ऑनलाइन पाठसामग्री जिन वेबसाइटों ब्लॉगों या अप पर उपलब्ध है उसकी जानकारी छात्रों को मेल, एस.एम.एस, टेलीफोन आदि माध्यमों से देने का प्रयास किया जाता है।
4. **ऑन लाईन ऑडियो, विडियो सामग्री**- विषय से संबंधित ऑनलाइन विडियो को दूर शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर तैयार कर डाला जा रहा है तथा इस विषय से संबंधित अन्य संस्थानों द्वारा तैयार और मुक्त डाउनलोड करने योग्य ऑडियो, विडियो की जानकारी छात्रों को दि जाती है।
5. **अध्ययन केंद्र के संयोजकों द्वारा मार्गदर्शन**- अध्ययन केंद्र पर प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए अध्ययन केंद्र संयोजक छात्रों को सभी प्रकार की मदद एवं जानकारी देते हैं। जैसे सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, परीक्षा का स्वरूप, उत्तर लिखने का सही तरिका आदि।
6. **परियोजना कार्य हेतु कार्यशाला का अयोजन**- पाठ्यचर्या के अनिवार्य हिस्से के रूप में रखे गये परियोजना कार्य को कैसे पूर्ण करना है इसके मार्गदर्शन के लिए 1 से 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। जिसमें उन्हें परियोजना कार्य करने के लिए लघु शोध प्रस्ताव कैसे तयार करना है। शोध प्रश्न क्या है? शोध प्रविधि क्या है? आदि का मार्गदर्शन किया जाता है। यह आयोजन मुख्यालय तथा अध्ययन केंद्र पर किया जाता है।
7. **अध्ययन केंद्र एवं मुख्यालय पर पुस्तकालय की सुविधा**- प्रत्येक अध्ययन केंद्र पर छात्रों के लिए अतिरिक्त अध्ययन हेतु पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यालय वर्धा पर केंद्रीय पुस्तकालय में विषय से संबंधित पर्याप्त पुस्तकें तथा विभागीय पुस्तकालय में महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध है। छात्र पुस्तकालय में बैठकर भी अध्ययन करते हैं।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation)

प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन - इस पाठ्यक्रम में यूसीसी के नियमानुसार ऑफलाइन और ऑन लाईन प्रवेश फार्म भरने की सुविधा है। प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक है। निदेशालय द्वारा प्रत्येक सत्र के लिए विवरणिका प्रकाशित की जाती है विवरणिका में लिखित नियमों, उपनियमों के अंतर्गत छात्र का प्रवेश निश्चित होता है।

इस पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण पाठ्यचर्या इकाईवार वेबसाइट पर अपलोड की गई है। पाठ्यक्रम में कुल 07 प्रश्न पत्र हैं जैसे - 1. कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं साइबर मीडिया 2. संचार एवं विकासात्मक संचार 3. जनसंचार माध्यमों का इतिहास 4. मीडिया लेखन 5. जनसंपर्क एवं विज्ञापन 6. संपादन पृष्ठ सज्जा एवं मुद्रण 7. मीडिया संस्थान प्रबंधन एवं मीडिया कानून। इसके अलावा छात्रों को एक लघु शोध परियोजना कार्य भी पूर्ण करना है। जो एक पेपर के बराबर है। छात्रों के शैक्षिक गुणवत्ता का अध्ययन वार्षिक परीक्षा तथा सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य के आधार पर किया जा रहा है। वार्षिक परीक्षा के लिए अधिभार 70% तथा सत्रीय कार्य के लिए 30% है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता :

(Requirement of the laboratory support and Library Resources)

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। पुस्तकालय की आवश्यकता है। विद्यार्थी को पाठ्यसामग्री के अलावा विषय से संबंधित पुस्तकें तथा संदर्भ ग्रंथ पुस्तकालय में उपलब्ध होने से।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान:

(Cost estimate of the programme and the provisions)

बी.जे (जनसंचार एवं पत्रकारीता) पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमान व्यय

क्र. स.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन का कार्य 1 वर्षीय पाठ्यक्रम कुल इकाईयाँ 100	4,000 प्रति इकाई	4,00,000	100/- × 4,000/- = 4,00,000

2	संपादन कार्य कार्यशाला व्यय 1. मानदेय – 3 विशेषज्ञ 3 दिन 2. यात्राभत्ता एवं अन्य व्यय	1000 प्रति दिन प्रति विशेषज्ञ 10,000 प्रति विशेषज्ञ प्रति दिन अन्य खर्च	3000×3=9000/- 30,000 20,000	59,000/-
3	प्रकाशन खर्च कुल 07 पुस्तके एक पुस्तक का खर्च 100	100×7=700×500 /-	= 3,50,000	= 3,50,000
4	डाक खर्च प्रति छात्र	250/-	100×250 = 25000/-	= 25,000/-
=8,34,000 (आठ लाख चौतीस हजार)				

दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु विश्वविद्यालय/दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को अनुदान दिया जाता है।

9) गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम :

(Quality assurance mechanism and expected programme outcomes)

दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो के नियमानुसार पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या की समीक्षा की जाएगी। पत्रकारीता में आये नए बदलावों के संदर्भ में आवश्यक घटकों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित किया जाएगा। पाठ्यक्रम के संदर्भ में छात्रों से सुझाव प्राप्त किये जाएंगे और उसे पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम को प्रयोगात्मक बनाने के लिए विविध मीडिया संगठनों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की जाएगी।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (डीसीए)

(Programme Project Report DCA)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य(Programme's mission & objectives) :

डीसीए पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को कम्प्यूटर से संबंधित कौशल प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को इस तरह तैयार करता है जिससे वे कम्प्यूटर की सहायता से विभिन्न काम करने में सक्षम हो सकें। यह पाठ्यक्रम विभिन्न कम्प्यूटर तकनीक से परिचय करवा कर उन्हें व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें। इस पाठ्यक्रम का ध्येय नवीन प्रौद्योगिकी ज्ञान प्रदान करना है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों और सेवारत विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के जरिए विद्यार्थी को निम्नलिखित क्षेत्र में सक्षम बनाना है -

- कम्प्यूटर की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना।
- कम्प्यूटर पर कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में कम्प्यूटर के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता(Relevance of the program with HEI's Mission and Goals):

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाना होगा।

साथ ही धारा 5 के उपबन्ध (5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उदघाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके- विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह केन्द्र हिन्दी भाषा को आधार बनाकर प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। हिन्दी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिन्दी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही, दूसरी ओर हिन्दी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह केन्द्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केन्द्र

अपने ध्येय 'शिक्षा जन-जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिन्दी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिन्दी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के हिन्दी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

डीसीए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने प्रस्तावित किया गया है। एक ओर यह पाठ्यक्रम समाज विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम के जरिए अधिक लोगों तक पहुँचने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम पेशेवर पाठ्यक्रम होने के कारण रोजगारपरक कौशल भी प्रदान करता है।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति(Nature of prospective target group of learners):

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- अध्ययनरत स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी/ स्त्री/पुरुष
- स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- शिक्षा से वंचित स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी/स्त्री/पुरुष

4) दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक पेशेवर पाठ्यक्रम है अतएव विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे –

- कम्प्यूटर के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- वेबसाइट निर्माण कर सकेंगे।
- डीटीपी कार्य कर सकेंगे।
- फोटो एडिटिंग एवं प्रिंटिंग कार्य में दक्ष हो सकेंगे।

- प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकेंगे।
- कम्प्यूटर आधारित रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन विडियो सामग्री - ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन विडियो की वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श - विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रकार्य आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।
- परामर्श सत्र - अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा - अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।
- प्रायोगिक कार्य - इस पाठ्यक्रम हेतु प्रायोगिक कार्य अनिवार्य है अतएव अध्ययन केंद्रों पर पाठ्यक्रम से संबंधित प्रायोगिक कार्य कराया जाता है जिससे विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation):

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क ₹.6000/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी

प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाता है। पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की गई है और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। कुल पूर्णांक में से सत्रांतवार्षिक परीक्षा के लिए 70% तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources):

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रकार्य एवं परियोजना कार्य अनिवार्य है अतएव इन दोनों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान(Cost estimate of the programme and the provisions):

एम.एस. डब्ल्यू पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	कुल इकाई – 22	रु. 4,000/- प्रति इकाई	88,000/-	88,000/-
2	डाक व स्टेशनरी	10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल	98,000/-
				(अष्टानवे हजार मात्र)

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के प्रयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

9) गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावितकार्यक्रम परिणाम (Quality assurance mechanism and expected programme outcomes):

इस पाठ्यक्रम में हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे।

पाठ्यक्रम का नाम : एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य (Programme's mission & objectives)

एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में हिन्दी साहित्य और भाषा के अध्ययन तथा विवेचन-विश्लेषण की प्रवृत्ति विकसित करना एवं विद्यार्थियों में साहित्यिक अनुसंधान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न कर उन्हें शोधपरक अध्ययन की ओर उन्मुख करना भी इस कार्यक्रम का अन्तर्निहित लक्ष्य है।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता (Relevance of the program)

80 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति पर आधारित एवं स्वेच्छाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुरूप निर्मित है। हिन्दी भाषा एवं साहित्य की परम्परागत पाठ्यचर्याओं के साथ ही यह पाठ्यक्रम 'प्रयोजनमूलक हिन्दी', 'हिन्दी पत्रकारिता', 'हिन्दी भाषा एवं भाषा-शिक्षण' तथा 'सृजनात्मक लेखन' जैसी रोजगारोन्मुखी पाठ्यचर्याओं के अध्ययन का अवसर सुलभ कराता है तथा 'पाठालोचन' जैसी महत्त्वपूर्ण परन्तु दुर्लभ पाठ्यचर्या के अध्ययन का अवसर भी प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि इसमें 'तुलनात्मक भारतीय साहित्य' एवं 'नव सामाजिक विमर्श' के साथ ही 'हिन्दी अनुप्रयोग : तकनीकी संसाधन एवं उपकरण' जैसी अत्यंत आवश्यक एवं प्रासंगिक पाठ्यचर्याओं का भी समावेश किया गया है।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति (Nature of prospective target group of learners)

एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम निम्नलिखित शिक्षार्थी समूहों को दृष्टि में रखकर विकसित किया गया है –

01. दैनिक कार्य को बाधित किए बिना अपने अनुकूल समय में अध्ययन कर हिन्दी में उच्च शिक्षा-प्राप्ति के इच्छुक सभी वयस्क, घरेलू महिलाएँ, खेतिहर और औद्योगिक मजदूर तथा कामकाजी व्यक्ति-समूह।
02. शारीरिक अक्षमता के कारण संस्थान में उपस्थित होकर हिन्दी में उच्च शिक्षा अध्ययन करने से वंचित दिव्यांगजन समूह।
03. हिन्दी में उच्च शिक्षा-प्राप्ति के अभिलाषी दूरस्थ, मरुस्थलीय, वन्य एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी एवं आदिवासी जन समूह।

04. भारत के अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के निवासी जो अपने क्षेत्र में ही रहकर हिन्दी में उच्च शिक्षा-प्राप्त करना चाहते हैं।
05. भारतेतर राष्ट्रों के निवासी जो अपने देश में ही रहकर हिन्दी में उच्च शिक्षा-प्राप्त करना चाहते हैं।
- 4) **दूरशिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence)**

एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरान्त विद्यार्थी निम्नलिखित दक्षताएँ प्राप्त कर सकेंगे –

01. हिन्दी साहित्य के क्रमिक विकास के प्रति अपनी समझ विकसित कर सकेंगे।
02. हिन्दी भाषा एवं नागरी लिपि की आधारभूत संरचना को आत्मसात कर पाएँगे।
03. भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय परम्परा एवं आलोचना सिद्धान्तों से परिचित हो सकेंगे।
04. प्रयोजनमूलक हिंदी के भाषिक-स्वरूप तत्त्वों की व्याख्या तथा जीवन के व्यावहारिक क्षेत्रों में उनके प्रयोग की दिशा के साथ ही 21वीं सदी में वैश्विक-ग्राम के संदर्भों में प्रयोजनमूलक हिंदी के व्यावहारिक महत्व की चर्चा कर पाएँगे।
05. लोकसाहित्य के पुरातन परम्परा-स्रोत को जान एवं समझ सकेंगे।
06. हिन्दी नाटक की संवेदना, शिल्प तथा रंगमंचीयता से भलीभाँति परिचित हो सकेंगे।
07. हिन्दी पत्रकारिता के स्वरूप, स्थिति और महत्त्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
08. प्राचीन दुर्लभ पाण्डुलिपियों का सही एवं उचित पाठ निर्धारण करने में सक्षम हो सकेंगे।
09. हिन्दी भाषा शिक्षण की कला एवं प्रकृति सीख सकेंगे।
10. सृजनात्मक लेखन की बारीकियाँ समझ कर नवाचार लेखन में प्रवृत्त हो सकेंगे।
11. प्रौद्योगिकी और तकनीकी के क्षेत्र में हिन्दी की अधुनातन शैली तथा उसके सम्पादन कार्य को समझ सकेंगे।
12. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विरचित साहित्य के अन्तःसम्बन्ध से परिचित हो सकेंगे।
13. हिन्दी की विविध विधाओं एवं उनमें रचित साहित्य से परिचित हो सकेंगे।
14. समकालीन विमर्शों की सैद्धांतिकी एवं विचारधारा को समझ सकेंगे।
15. हिन्दी के कालजयी रचनाकारों के रचना कर्म का विश्लेषण करने में सक्षम हो सकेंगे।

16. हिन्दी की समवेत संस्कृति की स्थापना, विस्तार एवं प्रचार-प्रसार में सहायक विभिन्न प्रचार संस्थाओं/नाट्य-संस्थाओं, पत्र-पत्रिकाओं, साहित्यिक आन्दोलनों, पुस्तकालयों, साहित्यिक केन्द्रों तथा साहित्यिक कृतियों पर बनने वाले सिनेमा और टेलीविजन धारावाहिकों, प्रकाशकों आदि के विशेष योगदान को निरूपित करने वाली हिन्दी की विस्तृत संस्कृतिसे भली-भाँति परिचित हो सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप

(Instructional Design)

● स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री –

एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पाठ्यचर्याओं की पाठ्यसामग्री वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रसारित की जाती है। इस पाठ्यक्रम की अद्यतन 11 पाठ्यचर्याओं की पाठ्यसामग्री ऑनलाइन प्रकाशित की जा चुकी है जबकि शेष 11 पाठ्यचर्याओं की पाठ्यसामग्री निर्माणाधीन है जो यथाशीघ्र ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी। सम्बन्धित लिंक निम्नलिखित है –

<http://hindivishwa.org/distance/contentdtl.aspx?category=3&cgid=77&csgid=65>

क्र. सं.	सेमेस्टर	पाठ्यचर्या	अनिवार्य / वैकल्पिक	पाठ्यचर्या कोड	पाठ्यचर्या का शीर्षक	क्रेडिट	प्रकाशन स्थिति
01	प्रथम	प्रथम	अनिवार्य	MAHD – 01	प्रारम्भिक हिन्दी काव्य	04	प्रकाशित
02	प्रथम	द्वितीय	अनिवार्य	MAHD – 02	हिन्दी उपन्यास एवं कहानी	04	प्रकाशित
03	प्रथम	तृतीय	अनिवार्य	MAHD – 03	भारतीय काव्यशास्त्र	04	प्रकाशित
04	प्रथम	चतुर्थ	अनिवार्य	MAHD – 04	हिन्दी साहित्य का इतिहास – 1	04	प्रकाशित
05	प्रथम	पंचम	वैकल्पिक	MAHD – 05	प्रयोजनमूलक हिन्दी	04	प्रकाशित
06	प्रथम	पंचम	वैकल्पिक	MAHD – 06	लोक-साहित्य	04	प्रकाशित
07	द्वितीय	प्रथम	अनिवार्य	MAHD – 07	मध्यकालीन हिन्दी काव्य	04	प्रकाशित
08	द्वितीय	द्वितीय	अनिवार्य	MAHD – 08	हिन्दी नाटक एवं रंगमंच	04	प्रकाशित
09	द्वितीय	तृतीय	अनिवार्य	MAHD – 09	पाश्चात्य काव्यशास्त्र	04	प्रकाशित
10	द्वितीय	चतुर्थ	अनिवार्य	MAHD – 10	हिन्दी साहित्य का इतिहास – 2	04	प्रकाशित
11	द्वितीय	पंचम	वैकल्पिक	MAHD – 11	हिन्दी पत्रकारिता	04	प्रकाशित
12	द्वितीय	पंचम	वैकल्पिक	MAHD – 12	पाठालोचन	04	शीघ्र प्रकाश्य
13	तृतीय	प्रथम	अनिवार्य	MAHD – 13	आधुनिककालीन हिन्दी काव्य	04	शीघ्र प्रकाश्य
14	तृतीय	द्वितीय	अनिवार्य	MAHD – 14	हिन्दी आलोचना	04	शीघ्र प्रकाश्य
15	तृतीय	तृतीय	अनिवार्य	MAHD – 15	हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि	04	शीघ्र प्रकाश्य

16	तृतीय	चतुर्थ	अनिवार्य	MAHD – 16	तुलनात्मक भारतीय साहित्य	04	शीघ्र प्रकाश्य
17	तृतीय	पंचम	वैकल्पिक	MAHD – 17	हिन्दी भाषा एवं भाषा-शिक्षण	04	शीघ्र प्रकाश्य
18	तृतीय	पंचम	वैकल्पिक	MAHD – 18	सृजनात्मक लेखन	04	शीघ्र प्रकाश्य
19	चतुर्थ	प्रथम	अनिवार्य	MAHD – 19	हिन्दी अनुप्रयोग : तकनीकी संसाधन एवं उपकरण	04	शीघ्र प्रकाश्य
20	चतुर्थ	द्वितीय	अनिवार्य	MAHD – 20	हिन्दी के विविध गद्य-रूप	04	शीघ्र प्रकाश्य
21	चतुर्थ	तृतीय	अनिवार्य	MAHD – 21	भाषाविज्ञान	04	शीघ्र प्रकाश्य
22	चतुर्थ	चतुर्थ	अनिवार्य	MAHD – 22	नव सामाजिक विमर्श	04	शीघ्र प्रकाश्य
23	चतुर्थ	पंचम	वैकल्पिक	MAHD – 23	परियोजना कार्य : रचनाकार का विशेष अध्ययन	04	प्रकाशित
24	चतुर्थ	पंचम	वैकल्पिक	MAHD – 24	परियोजना कार्य : हिन्दी की संस्कृति का विशेष अध्ययन	04	प्रकाशित

● **ऑनलाइन विडियो सामग्री –**

एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम की सभी पाठ्यचर्याओं की पाठ्यसामग्री की वीडियो सामग्री / उपयोगी इंटरनेट स्रोत विद्यार्थियों को सुलभ कराए गए हैं –

<http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18>

<http://www.hindisamay.com/>

<http://hindinest.com/>

<http://www.dli.ernet.in/>

<http://www.archive.org>

<http://www.britannica.com/art/Romanticism>

<http://www.britannica.com/topic/Marxism>

<https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/aesthetics-19th-romantic/>

<http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/existentialism/>

http://www.marxists.org/subject/art/lit_crit/

<http://www.marxist.org.reference/subject/philosophy/works/fr/derrida/htm>

<http://www.iep.utm.edu/existent/>

<http://www.iep.utmedu/deconst/&grqid=pDsajcmze&hl=en-IN>

● **अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श –**

अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों को अकादमिक परामर्शदाता / विषय विशेषज्ञ का मार्गदर्शन सुलभ कराया जाता है।

- परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती हैं। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation)

प्रवेश प्रक्रिया :

एम. ए. हिन्दी पाठ्यक्रम में स्नातक या समकक्ष उपाधि उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्रता रखते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत न्यूनतम अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है।

पाठ्यचर्या सम्पादन कार्य :

एम. ए. हिन्दी पाठ्यक्रम की पाठ्यसामग्री सम्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विषय-विशेषज्ञ विद्वज्जनों को नामित कर सम्पादक मण्डल का गठन किया गया है जिनके संपादकत्व में पाठ्यचर्या सम्पादन कार्य सम्पन्न किया जाता है। गठित सम्पादक मण्डल का विवरण इस प्रकार है –

प्रधान सम्पादक :

प्रो० गिरीश्वर मिश्र, कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

सम्पादक :

प्रो० अरविन्द कुमार झा, निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

पुरन्दरदास, अनुसंधान अधिकारी एवं पाठ्यक्रम संयोजक : एम. ए. हिन्दी पाठ्यक्रम, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

सम्पादक मण्डल :

प्रो० आनन्दवर्धन शर्मा, सम कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रो. कृष्णकुमार सिंह, विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग एवं अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रो. अरुण कुमार त्रिपाठी, प्रोफेसर एडजंक्ट, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रकाशक :

कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधीहिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र, पिन कोड : 442001

मूल्यांकनपद्धति :

यह द्विवर्षीय पाठ्यक्रम कुल 04 सेमेस्टर में विभक्त है। प्रत्येक सेमेस्टर में 05 पाठ्यचर्याएँ निर्धारित हैं जिनमें प्रथम 04 पाठ्यचर्याएँ अनिवार्य हैं जबकि पंचम पाठ्यचर्या वैकल्पिक है। विद्यार्थी को निर्धारित 02 विकल्पों में से किसी 01 विकल्प का चयन पंचमपाठ्यचर्या के रूप में करना होता है। प्रति पाठ्यचर्या अधिकतम 04 क्रेडिट निर्धारित हैं। इस प्रकार प्रति सेमेस्टर अधिकतम 20 क्रेडिट (4 x 5 = 20) तथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम 80 क्रेडिट (4 x 20 = 80) निर्धारित हैं। पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर की परियोजना कार्य पर आधारित पंचम पाठ्यचर्या का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है। शेष उन्नीस (19) पाठ्यचर्याओं में प्रत्येक पाठ्यचर्या का मूल्यांकन सत्रीय कार्य तथा सत्रांतपरीक्षा द्वारा क्रमशः 30 : 70 के अनुपातानुसार किया जाता है। इनमें सत्रीय कार्य का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है।

पाठ्यचर्या →	प्रथम पाठ्यचर्या (अनिवार्य)	द्वितीय पाठ्यचर्या (अनिवार्य)	तृतीय पाठ्यचर्या (अनिवार्य)	चतुर्थपाठ्यचर्या (अनिवार्य)	पंचमपाठ्यचर्या (वैकल्पिक)
सेमेस्टर -					
प्रथम सेमेस्टर	प्रारम्भिक हिन्दी काव्य	हिन्दी उपन्यास एवं कहानी	भारतीय काव्यशास्त्र	हिन्दी साहित्य का इतिहास - 1	विकल्प 1 - प्रयोजनमूलक हिन्दी विकल्प 2 - लोकसाहित्य

द्वितीय सेमेस्टर	मध्यकालीन हिन्दी काव्य	हिन्दी नाटक एवं रंगमंच	पाश्चात्य काव्यशास्त्र	हिन्दी साहित्य का इतिहास - 2	विकल्प 1 – हिन्दी पत्रकारिता
					विकल्प 2 – पाठालोचन
तृतीय सेमेस्टर	आधुनिककालीन हिन्दी काव्य	हिन्दी आलोचना	हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि	तुलनात्मक भारतीय साहित्य	विकल्प 1 – हिन्दी भाषा एवं भाषा-शिक्षण
					विकल्प 2 – सृजनात्मक लेखन
चतुर्थ सेमेस्टर	हिन्दी अनुप्रयोग : तकनीकी संसाधन एवं उपकरण	हिन्दी के विविध गद्य-रूप	भाषाविज्ञान	नव सामाजिक विमर्श	विकल्प 1 – <u>परियोजना कार्य</u> : रचनाकार का विशेष अध्ययन
					विकल्प 2 – <u>परियोजना कार्य</u> : हिन्दी की संस्कृति का विशेष अध्ययन

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता :

(Requirement of the laboratory support and Library Resources)

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय एवं अधिगम केन्द्रों में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रकार्य एवं परियोजना कार्य अनिवार्य है अतएव इन दोनों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान :

(Cost estimate of the programme and the provisions)

एम. ए. हिन्दी पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर हेतु 107, द्वितीय सेमेस्टर हेतु 122, तृतीय सेमेस्टर हेतु 113 तथा चतुर्थ सेमेस्टर हेतु 72 इकाइयाँ निर्धारित की गई हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम हेतु कुल 414 इकाइयाँ निर्धारित हैं। सम्पादक मण्डल की अनुशंसा-उपरान्त विश्वविद्यालय के नियमानुसार पाठ-लेखन हेतु रुपये चार हजार (4000/-) मात्र प्रति इकाई मानदेय देय है। इस प्रकार सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की पाठ्यसामग्री के निर्माण हेतु कुल रुपये सोलह लाख छप्पन हजार (16,56000/-) मात्र व्यय किए जाने की योजना है। भविष्य में उक्त समस्त 414 पाठों का वीडियो बनाकर उन्हें विद्यार्थियों की सुविधाार्थ ऑनलाइन प्रसारित किया जा सकता है।

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की पाठ्यसामग्री निर्माण में व्यय योग्य मानदेय राशि

क्र. सं.	सेमेस्टर	कुल इकाइयाँ	प्रति इकाई देय मानदेय राशि	कुल मानदेय राशि
----------	----------	-------------	----------------------------	-----------------

01.	प्रथम सेमेस्टर	107	4000 /-	428000 /-
02.	द्वितीय सेमेस्टर	122	4000 /-	488000 /-
03.	तृतीय सेमेस्टर	113	4000 /-	452000 /-
04.	चतुर्थ सेमेस्टर	72	4000 /-	288000 /-
सम्पूर्ण पाठ्यक्रम		414	4000 /-	1656000 /-

प्रथम सेमेस्टर की पाठ्यसामग्री निर्माण में व्यय योग्य मानदेय राशि

क्र. सं.	पाठ्यचर्या का शीर्षक	कुल इकाइयाँ	प्रति इकाई देय मानदेय राशि	कुल मानदेय राशि
01	प्रारम्भिक हिन्दी काव्य	14	4000 /-	56000 /-
02	हिन्दी उपन्यास एवं कहानी	23	4000 /-	92000 /-
03	भारतीय काव्यशास्त्र	18	4000 /-	72000 /-
04	हिन्दी साहित्य का इतिहास – 1	21	4000 /-	84000 /-
05	प्रयोजनमूलक हिन्दी	17	4000 /-	68000 /-
06	लोक-साहित्य	14	4000 /-	56000 /-
प्रथम सेमेस्टर		107	4000 /-	428000 /-

द्वितीय सेमेस्टर की पाठ्यसामग्री निर्माण में व्यय योग्य मानदेय राशि

क्र. सं.	पाठ्यचर्या का शीर्षक	कुल इकाइयाँ	प्रति इकाई देय मानदेय राशि	कुल मानदेय राशि
01	मध्यकालीन हिन्दी काव्य	20	4000 /-	80000 /-

02	हिन्दी नाटक एवं रंगमंच	22	4000 /-	88000 /-
03	पाश्चात्य काव्यशास्त्र	17	4000 /-	68000 /-
04	हिन्दी साहित्य का इतिहास – 2	22	4000 /-	88000 /-
05	हिन्दी पत्रकारिता	18	4000 /-	72000 /-
06	पाठालोचन	23	4000 /-	92000 /-
द्वितीय सेमेस्टर		122	4000 /-	488000 /-

तृतीय सेमेस्टर की पाठ्यसामग्री निर्माण में व्यय योग्य मानदेय राशि

क्र. सं.	पाठ्यचर्या का शीर्षक	कुल इकाइयाँ	प्रति इकाई देय मानदेय राशि	कुल मानदेय राशि
01	आधुनिककालीन हिन्दी काव्य	24	4000 /-	96000 /-
02	हिन्दी आलोचना	20	4000 /-	80000 /-
03	हिन्दी भाषा का विकास एवं नागरी लिपि	21	4000 /-	84000 /-
04	तुलनात्मक भारतीय साहित्य	16	4000 /-	64000 /-

05	हिन्दी भाषा एवं भाषा-शिक्षण	16	4000 /-	64000 /-
06	सृजनात्मक लेखन	16	4000 /-	64000 /-
तृतीय सेमेस्टर		113	4000 /-	452000 /-

चतुर्थ सेमेस्टर की पाठ्यसामग्री निर्माण में व्यय योग्य मानदेय राशि

क्र. सं.	पाठ्यचर्या का शीर्षक	कुल इकाइयाँ	प्रति इकाई देय मानदेय राशि	कुल मानदेय राशि
01	हिन्दी अनुप्रयोग : तकनीकी संसाधन एवं उपकरण	16	4000 /-	64000 /-
02	हिन्दी के विविध गद्य-रूप	16	4000 /-	64000 /-
03	भाषाविज्ञान	24	4000 /-	96000 /-
04	नव सामाजिक विमर्श	16	4000 /-	64000 /-
चतुर्थ सेमेस्टर		72	4000 /-	288000 /-

9) गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम :

(Quality assurance mechanism and expected programme outcomes)

प्रस्तुत एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी पाठ्यक्रम निर्माण सम्बन्धी समस्त नियमों की सम्यक् अनुपालना की गई है। 80 क्रेडिट का यह पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति पर

आधारित है जिसे स्वेच्छाधारित क्रेडिट प्रणाली के अनुरूप निर्मित किया गया है। हिन्दी साहित्य और भाषा के अध्ययन में विद्यार्थियों की अभिरुचि विकसित करने वाला यह पाठ्यक्रम उनकी साहित्यिक विवेचनात्मक-विश्लेषणात्मक सामर्थ्य-कौशल में अभिवृद्धि करने में भी सहायक है। इस पाठ्यक्रम में विभिन्न रोजगारोन्मुखी पाठ्यचर्याओं का समावेश किया गया है जिनका सम्यक् अध्ययन कर एम. ए. हिन्दी उत्तीर्ण विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना कौशल सिद्ध कर सकेंगे।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (एम.ए. इतिहास)

(Programme Project Report M.A. History)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम का ध्येय और उद्देश्य (Programme's mission & objectives) :

एम.ए. इतिहास का यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में ऐतिहासिक चेतना का निर्माण करता है। विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भारतीय इतिहास की क्रमबद्धता और उसका स्वाभाविक विस्तार, इतिहास की एक वस्तुनिष्ठ समझ को बढ़ावा देता है। इतिहास की विभिन्न दृष्टियों एवं इतिहास लेखन की अद्यतन प्रविधियों को शामिल करता हुआ यह पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा से वंचित ज्ञानार्थियों के लिए इतिहास में दक्षता के साथ-साथ इतिहास से जुड़े अन्य अकादमिक एवं पेशेवर क्षेत्रों में अवसर की संभावना के नए द्वार खोलता है। यह पाठ्यक्रम निम्न तरीकों से विद्यार्थियों को इतिहास के ज्ञान में विशिष्टता प्रदान करता है,

- इतिहास की एक पूर्ण समझ को विकसित करना।
- भारतीय इतिहास के विकास क्रम को विश्व इतिहास के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित करना।
- इतिहास लेखन के विभिन्न सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करना।
- इतिहास की समझ को, आधुनिकता के साथ-साथ उत्तर आधुनिक प्रवृत्तियों एवं विमर्शों से विस्तृत करना।
- इतिहास के प्रति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक ज्ञान को विकसित करना।
- भारतीय राष्ट्र राज्य और सामाजिक संरचना के अद्यतन घटनाओं के प्रति ऐतिहासिक विश्लेषण की पद्यति को विकसित करना।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता(Relevance of the program with HEI's Mission and Goals):

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाना होगा।

साथ ही धारा 5 के उपबन्ध (5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके- विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह केन्द्र हिंदी भाषा को आधार बनाकर प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। हिंदी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिंदी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही, दूसरी ओर हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की

पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह केन्द्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केन्द्र अपने ध्येय 'शिक्षा जन-जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिंदी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिंदी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के हिंदी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

एम.ए. (इतिहास) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है। एक ओर यह पाठ्यक्रम इतिहास के एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम के जरिए अधिक लोगों तक पहुँचने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम रोजगारपरक कौशल भी प्रदान करता है।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति (Nature of prospective target group of learners):

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी
- स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- इतिहास में रुचि रखने वाले स्नातक उत्तीर्ण स्त्री/पुरुष

4) दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे –

- इतिहास की एक समग्र समझ विकसित कर सकेंगे।
- भारतीय इतिहास के क्रमबद्ध अध्ययन को वैश्विक संदर्भों में समझ सकेंगे।
- इतिहास के अध्ययन में अन्तरविषयक अध्ययन पद्धति से परिचित हो सकेंगे।
- इतिहास लेखन की प्रविधि से परिचित होकर एक पेशेवर इतिहासकार बन सकेंगे।
- इतिहास लेखन एवं इसकी पद्धति के नवाचारों से परिचित हो सकेंगे।
- इतिहास लेखन एवं उसमें अनुसंधान के नये क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे।

- इतिहास ज्ञान की अनिवार्य योग्यता वाले रोजगार के अवसरों के अनुरूप अपने को तैयार कर सकेंगे।
- इतिहास की एक वस्तुनिष्ठ समझ के साथ एवं जिम्मेवार और जागरूक नागरिक बन सकेंगे।
- समसामयिक घटनाओं के प्रति ऐतिहासिक विश्लेषण की प्रविधियों से परिचित हो सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निःशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श – विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।
- परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात् यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation):

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क निर्धारण प्रथम वर्ष हेतु 7000/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु 6750/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाता है। पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की जाएगी और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। कुल पूर्णांक में से सत्रांत/वार्षिक परीक्षा के लिए 70% तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources):

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में सत्रीय कार्य एवं परियोजना कार्य अनिवार्य है अतएव इन दोनों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान(Cost estimate of the programme and the provisions):

एम.ए. (इतिहास) पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	प्रथम वर्ष कुल इकाई – 160	रू. 4,000/- प्रति इकाई	6,40,000/-	11,52,000/-
	द्वितीय वर्ष कुल इकाई – 128	रू. 4,000/- प्रति इकाई	5,12,000/-	
2	डाक व स्टेशनरी	10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल	11,62,000/-
(ग्यारह लाख बासठ हजार मात्र)				

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के सहयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

9) गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम(Quality assurance mechanism and expected programme outcomes):

इस पाठ्यक्रम में हर पाँच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट
एम.ए. राजनीति विज्ञान (एमएपीएस)
(Programme Project Report MAPS)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य (Programme's mission & objectives) :

एमएपीएस पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान के विविध क्षेत्रों एवं शाखाओं, उप-शाखाओं का सैद्धान्तिक ज्ञान एवं उसके व्यावहारिक पक्ष से शिक्षित कर उनमें राजनीतिक जागरूकता पैदा करता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को इस तरह तैयार करता है जिससे वे सामाजिक एवं राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी सेवा प्रदान करने, अंतर्विषयक ज्ञान, सिद्धांत और व्यवहार तथा सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य के मूल्यों को एकीकृत करने में सक्षम हो सकें। यह पाठ्यक्रम सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के साथ विद्यार्थियों को सिद्धांत एवं व्यवहार में उत्कृष्टता हेतु भी प्रेरित करता है। इस पाठ्यक्रम का ध्येय विविधता में एकता के मूल भाव को स्वीकार करना एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सामाजिक सौहार्द्रता स्थापित करना एवं उक्त हेतु आवश्यक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों और सेवारत विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान की शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्षेत्र में सक्षम बनाना है –

- राजनीतिक चिन्तन एवं राजनीतिक संस्थाओं का जन्म / प्रारम्भ पाश्चात्य जगत में नहीं अपितु भारतीय भूमि पर हुआ इस तथ्य से विद्यार्थियों को अवगत कराना।
- राजनीतिक चिन्तन एवं संस्थाओं के भारतीय भूमि पर जन्म / प्रारम्भ होने का ज्ञान कराकर भारतीय चिन्तन दृष्टि, धर्म एवं दर्शन तथा निज संस्थाओं के प्रति सम्मान एवं आत्मगौरव का भाव उत्पन्न कराना।
- भारतीय शासन एवं राजनीति की सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना।
- अन्तरराष्ट्रीय राजनीति एवं वैश्विक सम्बन्धों का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- भारतीय एवं वैश्विक राजनीतिक घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण की समझ विकसित करना।
- विद्यार्थियों में समीक्षात्मक एवं आलोचनात्मक विवेक विकसित करना।
- राजनीति विज्ञान और अन्य अनुशासनों के अन्तर्विषयक ज्ञान को बढ़ाना।
- सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु विद्यमान दृष्टिकोणों की पहचान एवं नवीन दृष्टिकोणों की तलाश करने में सक्षम बनाना।
- सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकीकरण एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण स्थापित करने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाना।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता (Relevance of the program with HEI's Mission and Goals):

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाना होगा।

साथ ही धारा 5 के उपबन्ध (5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उदघाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके-विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह केन्द्र हिन्दी भाषा को आधार बनाकर प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। हिन्दी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिन्दी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही, दूसरी ओर हिन्दी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह केन्द्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केन्द्र अपने ध्येय 'शिक्षा जन-जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिन्दी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिन्दी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के हिन्दी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

एमएपीएस (राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तावित किया गया है। यह पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को हिन्दी माध्यम के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता है और हिन्दी माध्यम में राज्य, सरकार, लोक प्रशासन, संविधान, राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संस्थाओं, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं, इनके संगठन एवं कार्य-व्यवहार और हमारे जीवन में उनकी उपादेयता, राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक घटनाक्रम इत्यादि एवं उक्त सन्दर्भ में वैश्विक चिन्तन / विचार मन्थन आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम लक्षित विद्यार्थी समूह को जहाँ एक तरफ भारतीय एवं वैश्विक राजनीति तथा घटनाक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान कर उनमें जागरूकता पैदा करता है वहीं उनके लिए विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है तथा इसके लिए उन्हें तैयार करता है। यथा –

- शिक्षण क्षेत्र (विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक)।
- लोक सेवा (संघ एवं राज्य)।
- लोक प्रशासन एवं सचिवालयीय सेवा (ग्राम्य सचिवालय से केन्द्रीय सचिवालय तक)।
- मीडिया – राजनीतिक विश्लेषण एवं सर्वे।
- संस्थाएं – सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं और राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएं।
- दूतावास - भारतीय एवं विदेशी दूतावास।

- राजनीतिक दल एवं उनके कार्यालय।
- सरकार एवं विभिन्न मंत्रालय।
- संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरण एवं इसके द्वारा संचालित विभिन्न अभियान।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति (Nature of prospective target group of learners):

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी।
- स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।
- सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।
- सरकारी एवं गैर सरकारी कम्पनियों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी।
- राजनीतिक समझ एवं जागरूकता की इच्छा रखने वाले और राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने की इच्छा रखने वाले स्नातक।

4) दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

यह पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसे पूर्ण करने के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे –

- राजनीति विज्ञान के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विविध क्षेत्रों यथा – राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन की भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टि, लोकप्रशासन के संगठन कार्य एवं व्यवहार, भारतीय शासन एवं राजनीति, तुलनात्मक राजनीति, भारतीय विदेश नीति एवं वैश्विक संबंध अंतरराष्ट्रीय राजनीति, समकालीन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति मुद्दे, सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठन, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र एवं मानवाधिकार आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रीयता की उत्पत्ति, विकास एवं कार्य की समझ विकसित करने में सक्षम हो सकेंगे।
- ग्राम पंचायत से लेकर केन्द्रीय सरकार, सरकार के विविध अंगों एवं उनके संगठन, कार्य, व्यवहार तथा उत्पन्न समस्याओं से अवगत हो सकेंगे।
- सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो सकेंगे एवं राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं की पहचान कर सकेंगे एवं उसके मूल मर्म को समझकर तथ्यात्मक अनुसंधान कर उसे दूर करने के तरीकों को ढूँढने और समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकेंगे।

- प्रभावी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्य कौशलों में दक्ष हो सकेंगे।
- सरकारी नीतियों के परिचय, क्रियान्वयन एवं समीक्षा में सक्षम हो सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दू शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन विडियो सामग्री – ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन विडियो की वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श – विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रकार्य आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।
- परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation):

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क निर्धारण प्रथम वर्ष हेतु 7000/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु 6750/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाता है। पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की गई है और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। कुल पूर्णांक में से सत्रांत/वार्षिक परीक्षा के लिए 70% तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources):

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान(Cost estimate of the programme and the provisions):

एम.ए.पी.एस. (राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	विवरण	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	प्रथम वर्ष कुल इकाई – (अनिवार्य- 128+वैकल्पिक- 64) = 192	रु. 4,000/- प्रति इकाई	768000/-	16,64,000/-
	द्वितीय वर्ष कुल इकाई – (अनिवार्य- 96+ वैकल्पिक- 128) = 224	रु. 4,000/- प्रति इकाई	896000/-	
2	डाक व स्टेशनरी	रु. 10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल (रु. - सोलह लाख चौहत्तर हजार मात्र)	16,74000/-

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के प्रयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

9) गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम(Quality assurance mechanism and expected programme outcomes):

प्रस्तावित पाठ्यक्रम की प्रत्येक पाँचवे वर्ष समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी जिसमें पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात समय सापेक्ष एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु संशोधित पाठ्यक्रम का इकाई लेखन एवं अन्य आवश्यक कार्य संपादित किया जायेगा।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट

एम. ए. समाजशास्त्र (एम.ए.एस.)

(Programme Project Report M.A.S.)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य (Programme's mission & objectives) :

एम.ए.एस. पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को समाज, सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन को बढ़ावा देता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को समाज की विभिन्न संस्थाओं के बारे में अवगत कराता है। विद्यार्थी सामाजिक जरूरतों एवं सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी अध्ययन करने, अंतर्विषयक ज्ञान, सिद्धांत और व्यवहार तथा समाज के मूल्यों को एकीकृत करने में सक्षम हो सकेंगे। यह पाठ्यक्रम समाज के बदलते प्रतिमान, विद्यार्थियों को सिद्धांत एवं व्यवहार में उत्कृष्टता हेतु भी प्रेरित करता है। इस पाठ्यक्रम का ध्येय छात्रों को समाज के विभिन्न विद्वानों, सामाजिक स्वरूपों एवं सामाजिक समस्याओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करना है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों और सेवारत विद्यार्थियों को समाजशास्त्र शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के उपरांत विद्यार्थी को निम्नलिखित क्षेत्रों में सक्षम हो सकेंगे –

- भारतीय समाज एवं समाजशास्त्र की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है।
- सामाजिक संस्थाओं एवं समाज के बदलते प्रतिमानों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु सक्षम बनाना।
- विद्यार्थी में आलोचनात्मक विवेक विकसित करना।
- समाजशास्त्र और अन्य अनुशासनों के अंतर्विषयक ज्ञान को बढ़ाना।
- सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकार्यों के अध्ययन की प्रासंगिकता की समझ को विकसित करना।
- संस्कृति एवं समाजीकरण के अध्ययन से छात्रों को परिचित कराना।
- समाजशास्त्र के नए क्षेत्रों की पहचान करना।
- समाजशास्त्र के अन्य उपागमों/शाखाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराना।
- सामाजिक व्यवस्था एवं समाज के क्रियान्वयन की प्रक्रिया से विद्यार्थियों को परिचित कराना।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता(Relevance of the program with HEI's Mission and Goals) :

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाना है।

साथ ही धारा 5 के उपबंध(5) के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केंद्र का उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके-विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह केंद्र हिंदी भाषा को आधार बनाकर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। हिंदी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केंद्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिंदी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही दूसरी ओर हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह केंद्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केंद्र अपने ध्येय 'शिक्षा जन-जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केंद्र वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिंदी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिंदी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के हिंदी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

एम.ए.एस. पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। यह पाठ्यक्रम समाज विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम के जरिए अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं में रोजगार हेतु कौशल प्रदान करेगा।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति (Nature of prospective target group of learners) :

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी
- दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की जिज्ञासा रखने वाले विद्यार्थी
- सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- समाज के अध्ययन की इच्छा रखने वाले एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले स्नातक उत्तीर्ण स्त्री/पुरुष

4) दूर शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक पारंपरिक एवं पेशेवर पाठ्यक्रम है अतएव विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे –

- भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे।
- समाजशास्त्र के प्राथमिक अवधारणाओं- समाज, समिति, समुदाय, संस्था एवं नातेदारी का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- समाजशास्त्र के अनुसंधान की विभिन्न विधियों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- सामाजिक संबंधों के बदलते प्रतिमानों की पहचान करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे।
- सामाजिक समस्याओं की पहचान करने एवं अनुसंधान कर उन्हें दूर करने के तरीकों में सक्षम हो सकेंगे।
- प्रभावी सामाजिक अध्ययन कौशलों में दक्ष हो सकेंगे।
- सरकारी नीतियों का परिचय, क्रियान्वयन एवं समीक्षा में सक्षम हो सकेंगे।
- परियोजना प्रस्ताव बना सकेंगे।
- अनुसंधान प्रस्ताव बना सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परंपरागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केंद्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है जो इस प्रकार है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकेंगे।
- ऑनलाइन विडियो सामग्री – ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन विडियो को वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकेंगे।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्रों में सीधे परामर्श – विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रकार्य आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त कर सकेगा।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इन पुस्तकों की सहायता से विषय का अध्ययन कर सकता है।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य संपादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation) :

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क निर्धारण प्रथम वर्ष हेतु 7,000/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु 6,750/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाएगा। पाठ्यचर्या कार्य संपादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की जाएगी और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। कुल पूर्णांक में से सत्रांत/वार्षिक परीक्षा के लिए 70 % तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources) :

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है किंतु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध कराई जाएगी। समय-समय पर परामर्श सत्र के द्वारा भी विद्यार्थियों को अध्ययन से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों के पुस्तकालयों की भी सहायता ले सकेंगे। मुख्यालय द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान(Cost estimate of the programme and the provisions) :

एम.ए.एस. पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	प्रथम वर्ष कुल इकाई – 182	रू. 4,000/- प्रति इकाई	7,28,000/-	13,32,000/-
	द्वितीय वर्ष कुल इकाई – 151	रू. 4,000/- प्रति इकाई	6,04,000/-	
2	डाक व स्टेशनरी	10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल	13,42,000/-
				(तेरह लाख बयालीस हजार मात्र)

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के प्रयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

9) गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम(Quality assurance mechanism and expected programme outcomes) :

इस पाठ्यक्रम का हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (एमबीए)
(Programme Project Report MBA)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

1. कार्यक्रम का ध्येय और उद्देश्य (Mission & Objectives of the Programme) :

भारतीय राजभाषा के माध्यम से संचालित एमबीए पाठ्यक्रम के शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रबंधनशास्त्र से संबंधित समस्त अनुशासनों का सम्यक ज्ञान प्रदान करना रहा है। इस पाठ्यक्रम की संरचना बदलते हुए वैश्विक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखकर की गई है, जिसके फलस्वरूप इस पाठ्यक्रम के विद्यार्थी व्यावसायिक जगत- विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र की अपेक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को निम्नलिखित क्षेत्र में सक्षम बनाना है –

- प्रबंधनशास्त्र की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना।
- विविधतापूर्ण उद्योगजगत में व्यावसायिक एवं प्रबंधनकार्य के लिए सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक कौशल प्रदान करना।
- अपने व्यावसायिक एवं प्रबंधन कार्य के ज्ञान, कौशल, मूल्यों और नैतिकताओं के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना।
- विद्यार्थी में नवीन उपक्रम की स्थापना का विवेक विकसित करना।
- व्यावसायिक एवं प्रबंधन कार्य और अन्य अनुशासनों के अन्तर्विषयक ज्ञान को बढ़ाना।
- औद्योगिक न्याय प्राप्ति हेतु विद्यमान दृष्टिकोणों की पहचान एवं नवीन दृष्टिकोणों की तलाश करने में सक्षम बनाना।
- व्यावसायिक कार्य के नए क्षेत्रों की पहचान करना।
- कुटीर व लघु उद्योगों के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करना।
- संतुलित औद्योगिक विकास व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।

2. उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता (Relevance of the program with HEI's Mission and Goals):

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाना होगा।

साथ ही धारा 5 के उपबन्ध (5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उदघाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके-विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह केन्द्र हिन्दी भाषा को आधार बनाकर प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। हिन्दी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिन्दी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही, दूसरी ओर हिन्दी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह केन्द्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केन्द्र अपने ध्येय 'शिक्षा जन-जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिन्दी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिन्दी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के हिन्दी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर देश में पहली बार एमबीए पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम से संचालित किया जा रहा है। एक ओर यह इस पाठ्यक्रम को हिंदी भाषा के माध्यम से अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम व्यावसायिक होने के कारण रोजगारपरक कौशल भी प्रदान करता है।

3. प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति(Nature of prospective target group of learners):

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी
- स्नातक उपाधि के साथ सुपरवाइजरी/ प्रबंधकीय/ व्यावसायिक क्षेत्र में अनुभव धारक
- इंजीनियरिंग/ टेक्नालॉजी/चिकित्सा/आर्किटेक्चर/ कानून/ फ़ार्मैसी क्षेत्र में अनुभव धारक
- लेखांकन/ लागत एवं कार्य लेखांकन कंपनी सचिव इत्यादि में व्यावसायिक योग्यता धारक
- स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- प्रबंधन/ व्यावसायिक क्षेत्र में कार्य में इच्छा रखने वाले और कार्य करने वाले स्नातक उत्तीर्ण स्त्री/पुरुष

4. दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

यह अपने आप में एक प्रबंधकीय/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम है अतएव विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे –

- प्रबंधनशास्त्र की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- विविधतापूर्ण उद्योगजगत में व्यावसायिक एवं प्रबंधन कार्य के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक कौशल प्राप्त कर सकेंगे।
- व्यावसायिक एवं प्रबंधन कार्य के ज्ञान, कौशल, मूल्यों और नैतिकताओं के प्रयोग हेतु सक्षम बन सकेंगे।
- विद्यार्थी नवीन उपक्रम की स्थापना के विवेक विकसित कर सकेंगे।
- व्यावसायिक एवं प्रबंधन कार्य और अन्य अनुशासनों के अन्तर्विषयक ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे।
- औद्योगिक न्याय प्राप्ति हेतु विद्यमान दृष्टिकोणों की पहचान एवं नवीन दृष्टिकोणों की तलाश करने में सक्षम बन सकेंगे।
- व्यावसायिक कार्य के नए क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम हो सकेंगे।
- कुटीर व लघु उद्योगों के निर्माण करने में सक्षम हो सकेंगे।
- संतुलित औद्योगिक विकास व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने में सक्षम हो सकेंगे।
- औद्योगिक समस्याओं को इंगित करना, अनुसंधान कर उन्हें दूर करने के तरीकों में सक्षम हो सकेंगे।
- प्रभावी प्रबंधन/ व्यावसायिक कार्य कौशलों में दक्ष हो सकेंगे।
- औद्योगिक नीतियों का परिचय, क्रियान्वयन एवं समीक्षा में सक्षम हो सकेंगे।
- परियोजना प्रस्ताव बना सकेंगे।
- अनुसंधान प्रस्ताव बना सकेंगे।

5. निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।

- ऑनलाइन विडियो सामग्री – ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन विडियो की वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श – विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रकार्य आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।
- परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।

6. प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation):

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क निर्धारण प्रथम वर्ष हेतु 14,500/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु 14,250/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाता है। पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की गई है और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। कुल पूर्णांक में से सत्रांतवार्षिक परीक्षा के लिए 70% तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7. प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources):

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रकार्य एवं परियोजना कार्य अनिवार्य है अतएव इन दोनों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

8. कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान (Cost estimate of the programme and the provisions):

एमबीए पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
---------	----	----	---------------	----------

1	इकाई लेखन			
	प्रथम वर्ष कुल इकाई – 55	रू. 5,000/- प्रति इकाई	2,75,000/-	9,75,000/-
	द्वितीय वर्ष कुल इकाई – 140	रू. 5,000/- प्रति इकाई	7,00,000/-	
2	डाक व स्टेशनरी	10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल	9,85,000/-
				(नौ लाख पचासी हजार मात्र)

9. गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम(Quality assurance mechanism and expected programme outcomes):

इस पाठ्यक्रम में हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (एमजे)

(Programme Project Report MJ)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य (Programme's mission & objectives) :

एम जे पाठ्यक्रम का उद्देश्य जनसंचार सिद्धांतों, मीडिया की विभिन्न धारणाओं-समस्याओं का विस्तृत एवं गहन अध्ययन कराना है। इस पाठ्यक्रम द्वारा माध्यमों (मीडिया) के सम्बन्ध में शोध प्रशिक्षण एवं सतत अध्ययन को गति देना, मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रुचि के अनुसार दक्षता का विकास किया जाना है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को पत्रकारिता की विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल उपलब्ध कराया जाता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम पेशेवर के रूप में इस तरह तैयार करता है जिससे वे मीडिया की सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी सेवा प्रदान करने, अंतर्विषयक ज्ञान, सिद्धांत और व्यवहार तथा सामाजिक कार्य के मूल्यों को एकीकृत करने में सक्षम हो सकें। यह पाठ्यक्रम मीडिया क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के साथ विद्यार्थियों को सिद्धांत एवं व्यवहार में उत्कृष्टता हेतु भी प्रेरित करता है। इस पाठ्यक्रम का ध्येय मीडिया के विभिन्न स्वरूपों में सामाजिक उत्तरदायित्व को विकसित कर न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों और सेवारत विद्यार्थियों को मीडिया शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के जरिए विद्यार्थी को निम्नलिखित क्षेत्र में सक्षम बनाना है –

- विद्यार्थियों को भारत में संचार का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना।
- प्रभावी संचार के माध्यम से पत्रकारों की विशिष्ट भूमिका को रेखांकित करना।
- उन्हें विभिन्न संचार कौशलों की जानकारी देना और उनसे लैस करना।
- देश के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिक विषयों पर उचित संचार नीति तैयार करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों/संचार कर्मियों को उनकी जानकारी देना और संबद्ध अवसरों को परिभाषित करना।
- रिपोर्ट लेखन/संपादन/प्रोडक्शन एवं वितरण की नई/उभरती हुई तकनीकों की जानकारी देना।
- सरकारी मीडिया संगठनों और निजी प्रयासों की भूमिका की जानकारी देना।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता (Relevance of the program with HEI's Mission and Goals):

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाना होगा।

साथ ही धारा 5 के उपबन्ध (5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस विश्वविद्यालय की अवधारणा वैश्विक स्तर पर विभिन्न ज्ञानानुशासनों में हो रहे शोध कार्यों में हिन्दी के माध्यम से हस्तक्षेप कर शोध में हिंदी की नई परम्परा को विकसित करना है, इसका उद्देश्य विभिन्न अनुशासनों में वैश्विक स्तर पर हो रहे शोधों से हिंदी के माध्यम से ताल मेल कर हिन्दी को केवल राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा बनने की दिशा में अग्रसर करना है।

विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय के समस्त अकादमिक पाठ्यक्रमों का निर्माण ही इन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अनुरूप किया गया है, निदेशालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में ऐसे पाठ्यक्रम शामिल हैं जिन्हें वैश्विक मानदंडों के आधार पर निर्मित किया गया है, इसी आधार पर मीडिया जैसे पाठ्यक्रमों द्वारा पब्लिक स्फियर की विभिन्न अवधारणाओं को समझकर समाज के प्रत्येक तबके को अपने उत्तरदायित्वों और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है ताकि देश में मीडिया के इस चौथे स्तंभ के समस्त कर्तव्यों को पूरा करने में विद्यार्थी सक्षम हो सकें।

इन पाठ्यक्रमों के उद्देश्य से स्पष्ट है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक भारत सरकार की पृथक विश्व दृष्टि के फलस्वरूप किया गया है, जहां विश्व स्तर पर हिंदी के माध्यम से वैश्विक अकादमिक मानदंडों से सीधे प्रतिस्पर्धा संभव होगी और ऐसा मानव संसाधन निर्मित हो पायेगा जहां समाज के विभिन्न पक्षों पर शोध के माध्यम से एक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व वाले समाज की स्थापना हो सकेगी।

एमजे पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने प्रस्तावित किया गया है। एक ओर यह पाठ्यक्रम समाज को वस्तुनिष्ठता प्रदान करते हुए शिक्षित कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम पेशेवर पाठ्यक्रम होने के कारण रोजगारपरक कौशल भी प्रदान करता है।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति(Nature of prospective target group of learners):

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी
- मीडिया संस्थानों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने हेतु इच्छुक स्नातक उत्तीर्ण स्त्री/पुरुष

4) दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक पेशेवर पाठ्यक्रम है अतएव विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे –

- भारतीय समाज के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- संचार की अवधारणा एवं प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे।
- पत्रकारिता का इतिहास, कानून एवं संहिता आदि को जान सकेंगे।
- रिपोर्टिंग के विभिन्न सिद्धांतों और उसकी प्रक्रियाओं से रुब रु हो सकेंगे।
- संपादन के विभिन्न तरीकों और उनकी प्रक्रियाओं को जान सकेंगे।
- संपादन की व्यावहारिक बारीकियों को समझने में सक्षम हो पायेंगे।
- जनसंपर्क, विज्ञापन एवं समाचार पत्र प्रबंधनके विभिन्न आयामों से समाज को परिचित करानाए में सक्षम होंगे।
- विकास पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप को समझ सकेंगे।
- न्यूमीडिया,सोशल मीडिया एवं साइबर पत्रकारिता के नैतिक उत्तरदायित्वों से परिचित होंगे।
- सरकारी नीतियों का परिचय, क्रियान्वयन एवं समीक्षा में सक्षम हो सकेंगे।
- परियोजना प्रस्ताव बना सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन और मुद्रित पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन वीडियो सामग्री – ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन विडियो की वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श – विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य,परियोजना रिपोर्ट आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।

- परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation):

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क निर्धारण प्रथम वर्ष हेतु 12,250/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाता है। पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की गई है और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। कुल पूर्णांक में से सत्रांतवार्षिक परीक्षा के लिए 70% तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources):

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रकार्य एवं परियोजना कार्य अनिवार्य है अतएव इन दोनों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान (Cost estimate of the programme and the provisions):

एम.एस. डब्ल्यू पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	प्रथम वर्ष कुल इकाई – 80	रु. 4,000/- प्रति इकाई	3,20,000/-	3,20,000/-
2	डाक व स्टेशनरी	10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल	3,30,000/-
				(तीन लाख तीस हजार मात्र)

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के प्रयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

9) **गुणवत्तासंवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम(Quality assurance mechanism and expected programme outcomes):**

इस पाठ्यक्रम में हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (एमएसडब्ल्यू)
(Programme Project Report MSW)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य(Programme's mission & objectives) :

एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षित करके सामाजिक कार्य के पेशे को बढ़ावा देता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम पेशेवर के रूप में इस तरह तैयार करता है जिससे वे सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी सेवा प्रदान करने, अंतर्विषयक ज्ञान, सिद्धांत और व्यवहार तथा सामाजिक कार्य के मूल्यों को एकीकृत करने में सक्षम हो सकें। यह पाठ्यक्रम सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के साथ विद्यार्थियों को सिद्धांत एवं व्यवहार में उत्कृष्टता हेतु भी प्रेरित करता है। इस पाठ्यक्रम का ध्येय विविधता का स्वीकार एवं न्यायपूर्ण समाज की प्राप्ति के लिए सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करना है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों और सेवारत विद्यार्थियों को समाज कार्य शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के जरिए विद्यार्थी को निम्नलिखित क्षेत्र में सक्षम बनाना है -

- भारतीय समाज एवं समाज कार्य की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना।
- विविधतापूर्ण समाज में पेशेवर समाज कार्य के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- अपने पेशेवर समाज कार्य के लिए समाज कार्य ज्ञान, कौशल, मूल्यों और नैतिकताओं के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना।
- विद्यार्थी में आलोचनात्मक विवेक विकसित करना।
- समाज कार्य और अन्य अनुशासनों के अन्तर्विषयक ज्ञान को बढ़ाना।
- सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु विद्यमान दृष्टिकोणों की पहचान एवं नवीन दृष्टिकोणों की तलाश करने में सक्षम बनाना।
- समाज कार्य के नए क्षेत्रों की पहचान करना।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता(Relevance of the program with HEI's Mission and Goals):

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाना होगा।

साथ ही धारा 5 के उपबन्ध (5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उदघाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके- विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह केन्द्र हिन्दी भाषा को आधार बनाकर प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। हिन्दी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिन्दी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही, दूसरी ओर हिन्दी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह केन्द्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केन्द्र अपने ध्येय 'शिक्षा जन-जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिन्दी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिन्दी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के हिन्दी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

एमएसडब्ल्यू पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने प्रस्तावित किया गया है। एक ओर यह पाठ्यक्रम समाज विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को हिन्दी माध्यम के जरिए अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम पेशेवर पाठ्यक्रम होने के कारण रोजगारपरक कौशल भी प्रदान करता है।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति (Nature of prospective target group of learners):

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी
- स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- समाज कार्य की इच्छा रखने वाले और कार्य करने वाले स्नातक उत्तीर्ण स्त्री/पुरुष

4) दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक पेशेवर पाठ्यक्रम है अतएव विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे -

- भारतीय समाज के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- समाज कार्य की प्राथमिक विधियों -वैयक्तिक कार्य, समूह कार्य एवं सामुदायिक विकास - का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- समाज कार्य की द्वितीयक विधियों -समाज कार्य अनुसंधान, सामाजिक क्रिया एवं समाज कल्याण प्रशासन - का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- समाज कार्य के नवीन क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगे।
- सामाजिक समस्याओं को इंगित करना, अनुसंधान कर उन्हें दूर करने के तरीकों में सक्षम हो सकेंगे।
- प्रभावी सामाजिक कार्य कौशलों में दक्ष हो सकेंगे।
- सरकारी नीतियों का परिचय, क्रियान्वयन एवं समीक्षा में सक्षम हो सकेंगे।
- परियोजना प्रस्ताव बना सकेंगे।
- अनुसंधान प्रस्ताव बना सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन विडियो सामग्री - ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन विडियो की वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श - विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रकार्य आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।

- परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation):

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क निर्धारण प्रथम वर्ष हेतु 11500/- तथा द्वितीय वर्ष हेतु 1000/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाता है। पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की गई है और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। कुल पूर्णांक में से सत्रांत/वार्षिक परीक्षा के लिए 70% तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources):

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रकार्य एवं परियोजना कार्य अनिवार्य है अतएव इन दोनों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान (Cost estimate of the programme and the provisions):

एम.एस. डब्ल्यू पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	प्रथम वर्ष कुल इकाई – 160	रु. 4,000/- प्रति इकाई	6,40,000/-	10,12,000/-
	द्वितीय वर्ष कुल इकाई – 93	रु. 4,000/- प्रति इकाई	3,72,000/-	
2	डाक व स्टेशनरी	10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल	10,22,000/-
				(दस लाख बाईस हजार मात्र)

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के प्रयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

9) गुणवत्तासंवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम(**Quality assurance mechanism and expected programme outcomes**):

इस पाठ्यक्रम में हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्यकार्य संपादित किए जाएंगे।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीजीडीसीए)

(Programme Project Report PGDCA)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य(Programme's mission & objectives) :

पीजीडीसीए पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को कम्प्यूटर से संबंधित कौशल प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को इस तरह तैयार करता है जिससे वे कम्प्यूटर की सहायता से विभिन्न काम करने में सक्षम हो सकें। यह पाठ्यक्रम विभिन्न कम्प्यूटर तकनीक से परिचय करवा कर उन्हें व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें। इस पाठ्यक्रम का ध्येय नवीन प्रौद्योगिकी ज्ञान प्रदान करना है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों और सेवारत विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के जरिए विद्यार्थी को निम्नलिखित क्षेत्र में सक्षम बनाना है –

- कम्प्यूटर की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना।
- कम्प्यूटर पर कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में कम्प्यूटर के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता(Relevance of the program with HEI's Mission and Goals):

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिन्दी को लोकप्रिय बनाना होगा।

साथ ही धारा 5 के उपबन्ध (5) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उदघाटन भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र का उद्देश्य हिन्दी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके- विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह केन्द्र हिन्दी भाषा को आधार बनाकर प्रबन्धन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। हिन्दी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिन्दी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही, दूसरी ओर हिन्दी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह केन्द्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केन्द्र

अपने ध्येय 'शिक्षा जन-जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा। महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिन्दी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिन्दी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के हिन्दी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

पीजीडीसीए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने प्रस्तावित किया गया है। एक ओर यह पाठ्यक्रम समाज विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम के जरिए अधिक लोगों तक पहुँचने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम पेशेवर पाठ्यक्रम होने के कारण रोजगारपरक कौशल भी प्रदान करता है।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति (Nature of prospective target group of learners):

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- अध्ययनरत स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी/ स्त्री/पुरुष
- स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- शिक्षा से वंचित स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी/स्त्री/पुरुष

4) दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक पेशेवर पाठ्यक्रम है अतएव विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे –

- कम्प्यूटर के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- वेबसाइट निर्माण कर सकेंगे।
- डीटीपी कार्य कर सकेंगे।
- फोटो एडिटिंग एवं प्रिंटिंग कार्य में दक्ष हो सकेंगे।

- प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकेंगे।
- कम्प्यूटर आधारित रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन विडियो सामग्री – ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन विडियो की वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श – विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रकार्य आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।
- परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।
- प्रायोगिक कार्य – इस पाठ्यक्रम हेतु प्रायोगिक कार्य अनिवार्य है अतएव अध्ययन केंद्रों पर पाठ्यक्रम से संबंधित प्रायोगिक कार्य कराया जाता है जिससे विद्यार्थी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation):

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क रू.6750/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी

प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाता है। पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की गई है और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। कुल पूर्णांक में से सत्रांतरवार्षिक परीक्षा के लिए 70% तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources):

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रकार्य एवं परियोजना कार्य अनिवार्य है अतएव इन दोनों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान(Cost estimate of the programme and the provisions):

एम.एस. डब्ल्यू पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	कुल इकाई – 31	रु. 4,000/- प्रति इकाई	1,24,000/-	1,24,000/-
2	डाक व स्टेशनरी	10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल	1,25,000/-
				(एक लाख पच्चीस हजार मात्र)

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के प्रयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

9) गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावितकार्यक्रम परिणाम (Quality assurance mechanism and expected programme outcomes):

इस पाठ्यक्रम में हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीजीडीईएम एंड एफपी)
(Programme Project Report PGDEM&FP)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य (Programme's mission & objectives) :

पीजीडीईएम एंड एफपी पाठ्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन का गहन अध्ययन कराना है। इसके अंतर्गत जनसंचार माध्यमों के संबंध में शोध प्रशिक्षण एवं सतत अध्ययन को गति देना, मीडिया के विभिन्न क्षेत्र में विशेष रुचि के अनुसार दक्षता पर विशेष बल दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस और फिल्म प्रोडक्शन हाउस की विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। यह पाठ्यक्रम 32 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से नई सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न संचार के साधनों की बारीकियों का अध्ययन कराया जाता है, प्रौद्योगिकी की जानकारी का प्रयोग विद्यार्थी को फिल्म निर्माण और फिल्म के सम्पूर्ण इतिहास में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है इसकी सम्पूर्ण जानकारी पाठ्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पटकथा लेखन, कैमरा शूटिंग, निर्देशन, अभिनय, प्रोडक्शन की समुचित जानकारी प्रदान की जाती है। फिल्म प्रोडक्शन संगठन, फिल्म प्रबंधन, फिल्म निर्माण की तकनीकी की विस्तृत जानकारियों को प्रदान किया जाता है, उक्त पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को फिल्म निर्माण की आधारभूत जानकारी प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से फिल्म निर्माण में रोजगार हासिल करने में आसानी हो सकती है।

यह पाठ्यक्रम शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों और सेवारत विद्यार्थियों को मीडिया शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के जरिए विद्यार्थी को निम्नलिखित क्षेत्र में सक्षम बनाना है –

- फिल्म प्रबंधन, प्रोडक्शन, अभिनय कौशल की जानकारी प्रदान करना।
- फिल्म संगठनों विशिष्ट भूमिका को रेखांकित करना।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तकनीकी का इस्तेमाल फिल्म निर्माण के लिए।
- फिल्म के इतिहास और अतीत में प्रयुक्त तकनीकी का अंतर्संबंध की जानकारी प्रदान करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों/संचार कर्मियों को उनकी जानकारी देना और संबद्ध अवसरों को परिभाषित करना।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता (Relevance of the program with HEI's Mission and Goals):

इस विश्वविद्यालय की अवधारणा वैश्विक स्तर पर विभिन्न ज्ञानानुशासनों में हो रहे शोध कार्यों में हिन्दी के माध्यम से हस्तक्षेप कर शोध में हिन्दी की नई परम्परा को विकसित करना है, इसका उद्देश्य विभिन्न अनुशासनों में वैश्विक स्तर पर हो रहे शोधों से हिन्दी के माध्यम से ताल मेल कर हिन्दी को केवल राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा बनने की दिशा में अग्रसर करना है।

विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय के समस्त अकादमिक पाठ्यक्रमों का निर्माण ही इन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अनुरूप किया गया है, निदेशालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में ऐसे पाठ्यक्रम शामिल हैं जिन्हें वैश्विक मानदंडों के आधार

पर निर्मित किया गया है, इसी आधार पर मीडिया जैसे पाठ्यक्रमों द्वारा पब्लिक स्फियर की विभिन्न अवधारणाओं को समझकर समाज के प्रत्येक तबके को अपने उत्तरदायित्वों और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है ताकि देश में मीडिया के इस चौथे स्तंभ के समस्त कर्तव्यों को पूरा करने में विद्यार्थी सक्षम हो सकें।

इन पाठ्यक्रमों के उद्देश्य से स्पष्ट है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक भारत सरकार की पृथक विश्व दृष्टि के फलस्वरूप किया गया है, जहां विश्व स्तर पर हिंदी के माध्यम से वैश्विक अकादमिक मानदंडों से सीधे प्रतिस्पर्धा संभव होगी और ऐसा मानव संसाधन निर्मित हो पायेगा जहां समाज के विभिन्न पक्षों पर शोध के माध्यम से एक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व वाले समाज की स्थापना हो सकेगी। पीजीडीईएम एंड एफपी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने प्रस्तावित किया गया है। एक ओर यह पाठ्यक्रम समाज को वस्तुनिष्ठता प्रदान करते हुए शिक्षित कर मीडिया के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम पेशेवर पाठ्यक्रम होने के कारण रोजगारपरक कौशल भी प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से नई सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न संचार के साधनों की बारीकियों का अध्ययन कराया जाता है, प्रौद्योगिकी की जानकारी का प्रयोग विद्यार्थी को फिल्म निर्माण और फिल्म के सम्पूर्ण इतिहास में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है इसकी सम्पूर्ण जानकारी पाठ्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पटकथा लेखन, कैमरा शूटिंग, निर्देशन, अभिनय, प्रोडक्शन की समुचित जानकारी प्रदान की जाती है। फिल्म प्रोडक्शन संगठन, फिल्म प्रबंधन, फिल्म निर्माण की तकनीकी की विस्तृत जानकारियों को प्रदान किया जाता है, उक्त पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को फिल्म निर्माण की आधारभूत जानकारी प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से फिल्म निर्माण में रोजगार हासिल करने में आसानी हो सकती है

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति (Nature of prospective target group of learners):

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी
- मीडिया संस्थानों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी
- फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान और अर्हता प्राप्त करने हेतु इच्छुक स्नातक उत्तीर्ण स्त्री/पुरुष

4) दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता
(Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning
mode to acquire specific skills and competence) :

यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक पेशेवर पाठ्यक्रम है अतएव विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे –

- भारतीय समाज के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- मॉस मीडिया के जनमानस पर पड़ने वाले प्रभावों से परिचित हो सकेंगे।
- सूचना प्रौद्योगिकी का इतिहास, कानून एवं संहिता आदि को जान सकेंगे।
- फिल्म पत्रकारिता के विभिन्न आयामों से परिचित हो सकेंगे।
- फिल्म फोटोग्राफी के विभिन्न तरीकों और उनकी प्रक्रियाओं को जान सकेंगे।
- फिल्म प्रोडक्शन की व्यावहारिक बारीकियों को समझने में सक्षम हो पायेंगे।
- फिल्म निर्देशन, अभिनय के विभिन्न आयामों से समाज को परिचित कराने में सक्षम होंगे।
- फिल्मों के विकास के वर्तमान स्वरूप को समझ सकेंगे।
- प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, सम्पादन से परिचित होंगे।
- फिल्मों से सम्बंधित सरकारी नीतियों का परिचय, क्रियान्वयन एवं सरीक्षा में सक्षम हो सकेंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन और मुद्रित पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन वीडियो सामग्री – ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन वीडियो की वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।

- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श – विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, परियोजना रिपोर्ट आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।
 - परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
 - अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।
- 6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation):

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क निर्धारण प्रथम वर्ष हेतु 7,550/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाता है। पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की गई है और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। कुल पूर्णांक में से सत्रांतवार्षिक परीक्षा के लिए 70% तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources):

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रकार्य एवं परियोजना कार्य अनिवार्य है अतएव इन दोनों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान (Cost estimate of the programme and the provisions):

पीजीडीईएम&एफपी पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	प्रथम वर्ष कुल इकाई – 95	रू. 4,000/- प्रति इकाई	3,80,000/-	3,80,000/-
2	डाक व स्टेशनरी	10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल	3,90,000/-
				(तीन लाख नब्बे हजार मात्र)

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के प्रयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

9) **गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम (Quality assurance mechanism and expected programme outcomes):**

इस पाठ्यक्रम में हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (पीजीडीजेएमसी)

(Programme Project Report PGDJMC)

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य (Programme's mission & objectives) :

पीजीडीजेएमसी पाठ्यक्रम का उद्देश्य मीडिया क्षेत्र में कार्यरत लोगों तथा उनके व्यावसायिक विकास से जुड़े ज्ञान और कौशल में वृद्धि कराना है। यह डिप्लोमा जनसंचार एवं पत्रकारिता के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों को सर्वांगीण दृष्टि प्रदान करता है। इस डिप्लोमा के लिए पटकथा लेखक, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, तकनीकी सहायक, जनसंपर्क अधिकारी आदि के अनुभव स्वीकार्य किये जाते हैं। यह पाठ्यक्रम 32 क्रेडिट का है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी को पत्रकारिता की विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल उपलब्ध कराया जाता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सक्षम पेशेवर के रूप में इस तरह तैयार करता है जिससे वे मीडिया की सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी सेवा प्रदान करने, अंतर्विषयक ज्ञान, सिद्धांत और व्यवहार तथा सामाजिक कार्य के मूल्यों को एकीकृत करने में सक्षम हो सकें। यह पाठ्यक्रम मीडिया क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवश्यक ज्ञान प्रदान करने के साथ विद्यार्थियों को सिद्धांत एवं व्यवहार में उत्कृष्टता हेतु भी प्रेरित करता है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों और सेवारत विद्यार्थियों को मीडिया शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के जरिए विद्यार्थी को निम्नलिखित क्षेत्र में सक्षम बनाना है –

- विद्यार्थियों को भारत में मीडिया के विभिन्न सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान से परिचय कराना।
- प्रभावी संचार के माध्यम से पत्रकारों की विशिष्ट भूमिका को रेखांकित करना।
- उन्हें विभिन्न संचार कौशलों की जानकारी देना और उनसे लैस करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों/संचार कर्मियों को उनकी जानकारी देना और संबद्ध अवसरों को परिभाषित करना।
- रिपोर्ट लेखन/संपादन/प्रोडक्शन एवं वितरण की नई/उभरती हुई तकनीकों की जानकारी देना।
- ग्रामीण समाजों में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से कृषि, स्वास्थ्य पोषण आदि की जानकारी देने के लिए संभावित माध्यमों की तलाश करना।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता (Relevance of the program with HEI's Mission and Goals):

इस विश्वविद्यालय की अवधारणा वैश्विक स्तर पर विभिन्न ज्ञानानुशासनों में हो रहे शोध कार्यों में हिन्दी के माध्यम से हस्तक्षेप कर शोध में हिन्दी की नई परम्परा को विकसित करना है, इसका उद्देश्य विभिन्न अनुशासनों में वैश्विक स्तर पर हो रहे शोधों से हिन्दी के माध्यम से ताल मेल कर हिन्दी को केवल राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा बनने की दिशा में अग्रसर करना है।

विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय के समस्त अकादमिक पाठ्यक्रमों का निर्माण ही इन्हीं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के अनुरूप किया गया है, निदेशालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में ऐसे पाठ्यक्रम शामिल हैं जिन्हें वैश्विक मानदंडों के आधार पर निर्मित किया गया है, इसी आधार पर मीडिया जैसे पाठ्यक्रमों द्वारा पब्लिक स्फियर की विभिन्न अवधारणाओं को समझकर समाज के प्रत्येक तबके को अपने उत्तरदायित्वों और उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना है ताकि देश में मीडिया के इस चौथे स्तंभ के समस्त कर्तव्यों को पूरा करने में विद्यार्थी सक्षम हो सकें।

इन पाठ्यक्रमों के उद्देश्य से स्पष्ट है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना एक भारत सरकार की पृथक विश्व दृष्टि के फलस्वरूप किया गया है, जहां विश्व स्तर पर हिंदी के माध्यम से वैश्विक अकादमिक मानदंडों से सीधे प्रतिस्पर्धा संभव होगी और ऐसा मानव संसाधन निर्मित हो पायेगा जहां समाज के विभिन्न पक्षों पर शोध के माध्यम से एक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व वाले समाज की स्थापना हो सकेगी।

पीजीडीजेएमसी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने प्रस्तावित किया गया है। एक ओर यह पाठ्यक्रम समाज को वस्तुनिष्ठता प्रदान करते हुए शिक्षित कर मीडिया के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम पेशेवर पाठ्यक्रम होने के कारण रोजगारपरक कौशल भी प्रदान करता है।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति (Nature of prospective target group of learners):

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी
- मीडिया संस्थानों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- मीडिया संगठनों में निजी स्तर पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने हेतु इच्छुक स्नातक उत्तीर्ण स्त्री/पुरुष

4) दूर शिक्षा माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक पेशेवर पाठ्यक्रम है अतएव विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे –

- संचार की अवधारणा एवं प्रक्रिया से परिचित हो सकेंगे।

- पत्रकारिता का इतिहास, कानून एवं संहिता आदि को जान सकेंगे।
- रिपोर्टिंग के विभिन्न सिद्धांतों और उसकी प्रक्रियाओं से रुब रु हो सकेंगे।
- संपादन के विभिन्न तरीकों और उनकी प्रक्रियाओं को जान सकेंगे।
- मीडिया और समाज के अन्तःसम्बन्धों की समझ विकसित होगी।
- जनसंपर्क, विज्ञापन एवं समाचार पत्र प्रबंधनके विभिन्न आयामों से समाज को परिचित कराने में सक्षम होंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूरी शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परम्परागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केन्द्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन और मुद्रित पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन वीडियो सामग्री – ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन वीडियो की वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकते हैं।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्र में सीधे परामर्श – विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, परियोजना रिपोर्ट आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं।
- परामर्श सत्र – अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त करता है।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा – अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध होती हैं। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इस पुस्तकों की सहायता से विषय की समझ बढ़ा सकता है।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation):

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता स्नातक रखी जाएगी। इस पाठ्यक्रम हेतु प्रस्तावित शुल्क निर्धारण प्रथम वर्ष हेतु 4,750/- रखा गया है। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाता है। पाठ्यचर्या कार्य सम्पादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की गई है और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। कुल पूर्णांक में से सत्रांतवार्षिक परीक्षा के लिए 70% तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources):

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है परन्तु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध है। इस पाठ्यक्रम में क्षेत्रकार्य एवं परियोजना कार्य अनिवार्य है अतएव इन दोनों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे।

8) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान(Cost estimate of the programme and the provisions):

पीजीडीजेएमसी पाठ्यक्रम निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	प्रथम वर्ष कुल इकाई-80	रु. 4,000/- प्रति इकाई	3,20,000/-	3,20,000/-
2	डाक व स्टेशनरी	10,000/-	10,000/-	10,000/-
			कुल	3,30,000/-
				(तीन लाख तीस हजार मात्र)

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के प्रयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

9) गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम(Quality assurance mechanism and expected programme outcomes):

इस पाठ्यक्रम में हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कार्यक्रम परियोजना रिपोर्ट
कला स्नातक - बी.ए.
(Programme Project Report B.A.)

दूर शिक्षा निदेशालय
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)

1) कार्यक्रम ध्येय और उद्देश्य (Programme's mission & objectives) :

बी.ए. पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को समाज, सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के अध्ययन को बढ़ावा देता है। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को समाज की विभिन्न संस्थाओं के बारे में अवगत कराएगा। विद्यार्थी सामाजिक जरूरतों एवं सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी अध्ययन करने, अंतर्विषयक ज्ञान, सिद्धांत और व्यवहार तथा समाज के मूल्यों को एकीकृत करने में सक्षम हो सकेंगे। यह पाठ्यक्रम समाज के बदलते प्रतिमान, विद्यार्थियों को सिद्धांत एवं व्यवहार में उत्कृष्टता हेतु भी प्रेरित करता है। इस पाठ्यक्रम का ध्येय छात्रों को समाज के विभिन्न विद्वानों, सामाजिक स्वरूपों, संस्थाओं, समितियों एवं सामाजिक समस्याओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करना है। यह पाठ्यक्रम शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों और सेवारत विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के उपरांत विद्यार्थी निम्नलिखित क्षेत्रों में सक्षम हो सकेंगे –

- यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के साथ ही साथ अन्य विदेशी भाषा को समझने एवं सीखने में सक्षम बनाएगा।
- यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को विभिन्न अनुशासनों को समझने की दृष्टि प्रदान करेगा।
- भारतीय समाज एवं उसकी सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना है।
- सामाजिक संस्थाओं एवं समाज के बदलते प्रतिमानों की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु सक्षम बनाना।
- विद्यार्थी में आलोचनात्मक विवेक विकसित करना।
- हिंदी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास जनसंचार और भाषा के अंतर्विषयक ज्ञान को बढ़ाना।
- सामाजिक संरचनाओं एवं प्रकार्यों के अध्ययन की प्रासंगिकता की समझ को विकसित करना।
- संस्कृति एवं समाजीकरण के अध्ययन से छात्रों को परिचित कराना।
- स्नातक के विषयों के नए क्षेत्रों की पहचान करना।
- अध्ययन के विभिन्न उपागमों/शाखाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराना।
- सामाजिक व्यवस्था एवं समाज के क्रियान्वयन की प्रक्रिया से विद्यार्थियों को परिचित कराना।
- राजनीतिक व्यवस्था एवं एक अनुशासन के रूप में राजनीति विज्ञान के विभिन्न पक्षों से विद्यार्थियों को अवगत कराना।
- समाज के इतिहास के रूप में विद्यार्थियों को भारत के साथ ही विश्व के इतिहास से परिचित कराना।
- जनसंचार के विभिन्न पक्षों से विद्यार्थियों को परिचित कराना।

2) उच्च शिक्षा संस्थान के ध्येय एवं प्रयोजन के प्रति कार्यक्रम की प्रासंगिकता (Relevance of the program with HEI's Mission and Goals) :

विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में बताया गया है कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य - दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाना है।

साथ ही धारा 5 के उपबंध (5) के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में यह बताया गया है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन व्यक्तियों को जिनके बारे में वह निर्धारित करे, सुविधाएँ प्रदान करना है।

इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केंद्र का उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के हर तबके-विशेष तौर पर समाज के हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह केंद्र हिंदी भाषा को आधार बनाकर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। हिंदी में मौलिक-वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध इस विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केंद्र यह प्रयास करेगा कि एक ओर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शोध/अनुसंधान द्वारा हिंदी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही दूसरी ओर हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आमजन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह केंद्र उन सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। आशा है कि इसी राह पर चलते हुए यह केंद्र अपने ध्येय 'शिक्षा जन-जन के द्वार' को चरितार्थ कर सकेगा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केंद्र वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिंदी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान, समाज के हर तबके विशेष तौर पर शिक्षा से वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिंदी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के हिंदी माध्यम से प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करेगा।

बी.ए. पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। यह पाठ्यक्रम समाज विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम को हिंदी माध्यम के जरिए अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। वहीं दूसरी ओर यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं में रोजगार हेतु कौशल प्रदान करेगा।

3) प्रस्तावित कार्यक्रम के संभावित शिक्षार्थी समूह की प्रकृति (Nature of prospective target group of learners) :

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित संभावित शिक्षार्थी समूहों को रेखांकित किया गया है-

- 10+2 उत्तीर्ण विद्यार्थी
- दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन की जिज्ञासा रखने वाले विद्यार्थी
- सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी
- समाज के विभिन्न पक्षों के अध्ययन की इच्छा रखने वाले एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 10+2 उत्तीर्ण स्त्री/पुरुष।

4) दूर शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट कौशल एवं दक्षता प्राप्त करने में प्रस्तावित पाठ्यक्रम की उपयुक्तता (Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning mode to acquire specific skills and competence) :

यह पाठ्यक्रम अपने आप में एक पारंपरिक एवं पेशेवर पाठ्यक्रम है अतएव विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरांत निम्नलिखित दक्षता प्राप्त कर सकेंगे -

- हिंदी भाषा के व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक पक्षों को समझने एवं उनकी व्याख्या करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे।
- भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों के बारे में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे।
- समाज के प्राथमिक अवधारणाओं- समाज, समिति, समुदाय, संस्था एवं नातेदारी का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- स्नातक विषयों के अनुसंधान की विभिन्न विधियों का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- सामाजिक संबंधों के बदलते प्रतिमानों की पहचान करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे
- सामाजिक समस्याओं की पहचान करने एवं अनुसंधान कर उन्हें दूर करने के तरीकों में सक्षम हो सकेंगे।
- प्रभावी सामाजिक अध्ययन कौशलों में दक्ष हो सकेंगे।
- सरकारी नीतियों का परिचय, क्रियान्वयन एवं समीक्षा में सक्षम हो सकेंगे।
- ऐतिहासिक घटनाक्रमों एवं भारत के गौरवशाली इतिहास को जानने और समझने में विद्यार्थी सक्षम होंगे।
- वर्तमान प्रभावी में जनसंचार के विभिन्न सिद्धांतों एवं पक्षों को समझने में विद्यार्थी सक्षम होंगे।
- भारतीय भाषाओं के साथ ही विदेशी भाषाओं को समझने एवं सीखने में विद्यार्थी सक्षम होंगे।

5) निर्देशात्मक प्रारूप (Instructional Design) :

दूर शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी के अध्ययन की व्यवस्था परंपरागत विश्वविद्यालयों से भिन्न होती है। यह पद्धति विद्यार्थी केंद्रित होती है और इसकी सफलता विद्यार्थी के सक्रिय सहयोग और स्वाध्याय से संभव हो पाती है। इसमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठ्यक्रम से संबंधित निर्देश विद्यार्थी तक पहुंचाने हेतु विश्वविद्यालय बहुआयामी पद्धति अपनाता है जो इस प्रकार है-

- स्व-निर्देशित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री - विद्यार्थियों को विषय से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पीडीएफ फाइल प्रारूप में यह सामग्री निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इस पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकेंगे।
- ऑनलाइन विडियो सामग्री - ऑनलाइन पाठ्यसामग्री की सहायता के लिए निदेशालय पाठ्यचर्या के लिए ऑनलाइन विडियो को वेबसाइट पर अपलोड करेगा। इसे भी विद्यार्थी अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निशुल्क डाउनलोड कर अध्ययन कर सकेंगे।
- अकादमिक परामर्शदाताओं द्वारा अध्ययन केंद्रों में सीधे परामर्श - विद्यार्थी जिस अध्ययन केंद्र में पंजीकृत हैं उन अध्ययन केंद्रों पर अपने अकादमिक परामर्शदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अकादमिक परामर्शदाता उन्हें सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्रकार्य आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- परामर्श सत्र - अध्ययन केंद्रों द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। इन परामर्श सत्रों का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यसामग्री अध्ययन के पश्चात यदि कोई शीर्षक या अवधारणा समझ में नहीं आती है तो वह उस समस्या का समाधान परामर्शदाता से परामर्श सत्र में प्राप्त कर सकेगा।
- अध्ययन केंद्रों पर पुस्तकालय की सुविधा - अध्ययन केंद्रों पर संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाएंगी। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों पर जाकर इन पुस्तकों की सहायता से विषय का अध्ययन कर सकता है।

6) प्रवेश, पाठ्यचर्या कार्य संपादन एवं मूल्यांकन पद्धति (Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation) :

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा और न्यूनतम अर्हता 10+2 रखी जाएगी। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए छूट/शुल्क में कटौती और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जिसका उल्लेख हर वर्ष विवरणिका में किया जाएगा। पाठ्यचर्या कार्य संपादन के अंतर्गत वेबसाइट पर पूरी पाठ्यचर्या अपलोड की जाएगी और क्रेडिट विवरण की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। कुल पूर्णांक में से सत्रांत/वार्षिक परीक्षा के लिए 70 % तथा सत्रीय कार्य हेतु 30 % अधिभार निर्धारित है।

7) प्रयोगशाला सहायता एवं पुस्तकालय संसाधन की आवश्यकता (Requirement of the laboratory support and Library Resources) :

इस पाठ्यक्रम में प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है किंतु पुस्तकालय संसाधन अवश्य उपयोगी है। विद्यार्थी मूल पुस्तकों एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर विषय का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय उपलब्ध कराई जाएगी। समय-समय पर परामर्श सत्र के द्वारा भी विद्यार्थियों को अध्ययन से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों के पुस्तकालयों की भी सहायता ले सकेंगे। मुख्यालय द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी।

8) पाठ्यक्रम क्रेडिट विवरण -

दूरशिक्षा के अंतर्गत बी.ए. (120 क्रेडिट) पाठ्यक्रम की संरचना

समूह का नाम		प्रथम सेमेस्टर क्रेडिट	द्वितीय सेमेस्टर क्रेडिट	तृतीय सेमेस्टर क्रेडिट	चतुर्थ सेमेस्टर क्रेडिट	पंचम सेमेस्टर क्रेडिट	षष्ठ सेमेस्टर क्रेडिट	कुल क्रेडिट
समूह क	हिंदी	6	6	6	6	6	6	36
समूह ख (भाषा समूह - संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू एवं मराठी)	<u>भाषा समूह में से कोई एक विषय लेने पर</u> सामाजिक विज्ञान समूह	6	6	6	6	6	6	36
समूह ग (सामाजिक विज्ञान समूह - समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास एवं जनसंचार)	में से कोई एक विषय या <u>भाषा समूह में से कोई भी विषय न लेने पर</u> सामाजिक विज्ञान समूह में से कोई दो विषय	6	6	6	6	6	6	36
		18	18	18	18	18	18	108
कुल क्रेडिट								108
आधार भाषा (हिंदी)		02 क्रेडिट	विद्यार्थी छ सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में इन प्रश्न पत्रों को अलग-अलग सत्रों में या एक साथ एक ही सत्र में उत्तीर्ण कर सकता है।				कुल 12 क्रेडिट	12
आधार भाषा (अंग्रेजी)		02 क्रेडिट						
पर्यावरण अध्ययन		04 क्रेडिट						
मानवाधिकार		04 क्रेडिट						
							कुल क्रेडिट	120

9) कार्यक्रम की संभावित लागत एवं प्रावधान (Cost estimate of the programme and the provisions) :

कला स्नातक - बी.ए. पाठ्यक्रम के निर्माण का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	मद	दर	अनुमानित व्यय	कुल व्यय
1	इकाई लेखन			
	कुल इकाई - 928	रू. 4,000/- प्रति इकाई	3,712,000/-	
2	डाक, स्टेशनरी एवं अन्य खर्च	300,000/-	300,000/-	4,012,000
			कुल	4,012,000
				(चालीस लाख बारह हजार रुपए मात्र)

दूरस्थ शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है। अनुदान में प्राप्त राशि के प्रयोग से समस्त व्यय को पूरा किया जा सकता है।

10) गुणवत्ता संवर्धन प्रणाली एवं संभावित कार्यक्रम परिणाम (Quality assurance mechanism and expected programme outcomes) :

इस पाठ्यक्रम का हर पांच वर्ष में समीक्षा की जाएगी। इस कार्य हेतु निदेशक द्वारा नामित सदस्यों की समिति बनाई जाएगी और पाठ्यक्रम संयोजक सचिव होंगे। इस समीक्षा की रिपोर्ट निदेशक को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार अध्ययन मंडल में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद इकाई लेखन एवं अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे।



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

दूर शिक्षा निदेशालय प्रबंधन बोर्ड

[Board of Management]

की
द्वितीय बैठक
(दिनांक 20/12/2019)

कार्यवृत्त

स्थान : सभा कक्ष, हिंदी शिक्षण अधिगम केन्द्र, मं.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

दूर शिक्षा निदेशालय

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)

फोन नं. 07152-247146, 255360

वेब साइट : www.hindivishwa.org

संचालित करने की संभावना की तलाश हेतु उससे से संपर्क करने के निर्देश दिए गये थे। डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर से प्राप्त टिप्पणी के आलोक में दिनांक 25/09/2019 को आयोजित विभागीय बैठक में मा. कुलपति द्वारा इस पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु NIOS नई दिल्ली के साथ MOU करने के निर्देश प्राप्त हैं। तदनुसार MOU करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : MOU का प्रारूप तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या 10 : दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (Programme Project Report) प्रबंधन बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।
संचालित पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं-

1. PPR- B.Ed., 2. PPR- MBA, 3. PPR- MSW,
4. PPR- MJ, 5. PPR- MLibISc, 6. PPR- BLibISc,
7. PPR- BJ, 8. PPR- PGDEM&FP, 9. PPR- PGDJMC,
10. PPR- M.A. Hindi, 11. PPR- PGDCA, 12. PPR- DCA,
13. PPR- MA History, 14. PPR-M.A. Sociology,
15. PPR- M.A. Political Science. 16. PPR-B.A. (सलग्नक 7)


निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या 11 : सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम 2017 दिनांक 23/06/2017 के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी मान्यता प्राप्त केन्द्रों की जाँच करने हेतु समिति गठित की गई। पत्रांक 023/Gen.sc/2018/14/2318 दिनांक 31/05/2019 के अनुसार गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत। (सलग्नक 8)

निर्णय : उक्त समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में संबंधित सभी अध्ययन केन्द्रों के संचालकों को UGC (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार जिस अध्ययन केन्द्र को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संस्था /महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त Affiliated है, उस विश्वविद्यालय का Affiliation letter/Order पत्र, आदेश एवं संबंधित विश्वविद्यालय का अधिनियम प्रस्तुत करने का अवसर (opportunity) दिया जाए। इस संदर्भ में पत्र के माध्यम से सभी अध्ययन केन्द्रों को सूचित किया जाए।

मद संख्या 12 : अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

- 1) बी.ए. पाठ्यक्रम विवरण एवं पाठ्यचर्या स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

9

20/12/19